

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2021 — फाल्गुन 28, शक 1942

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-54/56/2014/इ.सू.प्रौ.— राज्य शासन एतद्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य में दूर संचार अवसंरचना के विकास के लिए तारमार्ग के अधिकार (“राइट ऑफ वे”) की नीति, 2021” संलग्न परिशिष्ट अनुसार अधिसूचित करता है।

संलग्न-परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
समीर विश्‍नोई, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तार मार्ग के अधिकार ("राइट ऑफ वे") की नीति, 2021

अध्याय – 1

सामान्य जानकारी

1. पृष्ठभूमि—

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड, वायरलेस और वायरलाईन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) परियोजना और भारतनेट परियोजना के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का कार्य किया जा रहा है। दूरसंचार, भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय विषय है, परन्तु उसे राज्य का समर्थन आवश्यक है ताकि दूरसंचार संसाधनों को स्थापित करने एवं उसके रखरखाव के लिए लाइसेंसधारी को अनुमति देने के लिए नियमानुकूल प्रावधान किया जा सकें। जिसके अंतर्गत लाइसेंसधारी को शासकीय विभाग और निजी स्वामित्व की भूमि और भवन के स्वामियों से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 के तहत से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था की जा सकें।

राज्य में लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकायों आदि के स्वामित्व की सड़कों पर, भूमि के नीचे या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों के बिजली के खंभों पर ऑप्टिकल फायबर बिछाने के लिए सेवा प्रदाता को पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राज्य में विभिन्न विभागों में अनुमति देने के लिए भिन्न-भिन्न नियम हैं जिससे विभिन्न कार्यालयों से अनुमति लेने तथा ऑप्टिकल फायबर बिछाने की परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब होता है।

2. उद्देश्य –

2.1 राज्य में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की प्रक्रिया को सुगम, सरल और विनियमित करना।

2.2 ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं और निजी स्वामित्व की भूमि या भवन पर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना करने वाले लाइसेंसी द्वारा मांग करने पर अनुमति प्रदान करने की सरल और पारदर्शी प्रक्रिया लागू करना।

2.3 सभी प्रकार के मोबाईल टॉवर लगाने, ओएफसी, इन बिल्डिंग समाधान और अन्य दूरसंचार अवसंरचनाओं की स्थापना हेतु आवेदन देने पर निर्धारित समय सीमा में अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को लागू करना।

2.4 राज्य के दूरस्थ, पहाड़ी और एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विकास को प्रोत्साहित करना।

2.5 राज्य में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में उच्च गति से इंटरनेट प्रदान करने के लिए आधुनिक दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना करना।

2.6 उन क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाले इंटरनेट की प्रदायगी सुनिश्चित करना जहां मोबाईल कनेक्टिविटी मौजूद है एवं नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थलीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार करना।

3. शीर्षक और लागू होने की तिथि –

3.1 इसे “छत्तीसगढ़ दूरसंचार तार मार्ग के अधिकार की नीति, 2021” कहा जाएगा।

3.2 यह नीति राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

4. परिभाषाएँ –

4.1 “अधिनियम” से आशय है— इंडियन टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13);

4.2 “समुचित प्राधिकारी” या “प्राधिकारी” से आशय है— केन्द्र सरकार, राज्य शासन, स्थानीय प्रशासन, निकाय, समिति, कंपनी या संस्था के ऐसे प्राधिकारी, जो संबंधित संस्था द्वारा विकसित, निर्मित या स्थापित की गई संपत्ति के नियंत्रण, प्रबंधन एवं रखरखाव का प्राधिकारी हो;

4.3 “भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016” से आशय है— भारत में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए अनुमति हेतु भारत सरकार के राजपत्र में जारी अधिसूचना;

4.4 “लाइसेंस” से आशय है— भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के भीतर दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए किसी कंपनी, निकाय या संस्था को प्रदत्त अनुमति या लाइसेंस।

4.5 “लाइसेंसी” या/और “आवेदक” से आशय है— ऐसे आवेदक, जिसे भारत सरकार द्वारा दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है और उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में अवसंरचना का निर्माण करने के लिए आवेदन किया गया है;

4.6 “भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना” से आशय है— भूमि के ऊपर स्थापित दूरसंचार टॉवर या तार लाइन, जिसमें संचालन एवं संधारण के लिए स्थापित चैक प्वाइंट, उपकरण और यंत्र भी सम्मिलित है;

- 4.7 "भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना" से आशय है— भूमि के भीतर बिछी हुई दूरसंचार तार लाईन और जिसके अंतर्गत तार लाईन, जिसमें संचालन एवं संधारण के लिए स्थापित मैन होल, मार्कर पत्थर, उपकरण और यंत्र भी सम्मिलित है;
- 4.8 "सेल-ऑन-व्हील्स" से आशय है— अस्थायी या 180 दिनों से कम अवधि के लिए स्थापित मोबाइल टॉवर;
- 4.9 "समिति" से आशय है— आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई समिति, जिसका स्वरूप कंडिका 8 में उल्लेखित किया गया है;
- 4.10 "एजेंसी" से आशय है— ऐसे विभाग या उसकी एजेंसी, निकाय, प्राधिकरण, कंपनी आदि, जो भूमि, सड़क, बिजली या टेलीफोन लाइन के खंभे आदि की स्थापना, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है;
- 4.11 "राइट ऑफ वे" से आशय है— तार मार्ग पर कार्य करने की अनुमति;
- 4.12 "फायबर या केबल" से आशय है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर, सभी डाई-इलेक्ट्रिक सेल्फ-सपोर्टिंग केबल और सभी प्रकार के तार या केबल जो दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए उपयोग किये जाए;
- 4.13 "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" से आशय है— ऐसी सेवा, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 प्रदान करता है;
- 4.14 "आवश्यक सेवाएँ" या "आवश्यक सेवा" से आशय है— आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम, 1981 अनुसार परिभाषित सेवा;

5. प्रयोज्यता —

- 5.1 प्रत्येक समुचित प्राधिकारी द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।
- 5.2 समुचित अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के लिए आवेदक द्वारा भूमिगत या भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना और रखरखाव के लिए आवेदन करने पर इन नीति के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- 5.3 इन नियमों के अंतर्गत दी गई कोई भी अनुमति भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 के तहत जारी किसी भी आदेश को प्रभावित नहीं करेगी।
- 5.4 इस नीति के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग होगा।

5.5 उपरोक्त नीति के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवश्यक नियम, व्याख्या, स्पष्टीकरण और निर्देश जारी किए जाएंगे।

5.6 नीति में उल्लेखित समुचित प्राधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की अनुमति देने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे उसकी जांच करेंगे—

5.6.1 मोबाइल टावर— ग्राउंड बेस टावर्स [GBT], रूफ टॉप टावर्स [RTT], रूफ टॉप पोल [RTP],

5.6.2 सूक्ष्म संचार उपकरण (माइक्रो सेल)/छोटे सेल

5.6.3 भूमि के ऊपर एवं भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल

5.6.4 भारतीय तार अधिनियम के अनुसार उपकरण

5.7 एक एकल खिड़की पोर्टल विकसित किया जाएगा और नीति अधिसूचित होने के एक वर्ष की समय-सीमा में प्रक्रिया को पेपरलेस/लेसपेपर बनाने की कार्यवाही की जाएगी।

6. पात्रता मापदंड —

6.1 कोई भी आवेदक जिसके पास भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी)/इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी)/इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (आईपी) के रूप में कार्य करने के लिए वैध लाइसेंस/अनुमति है, वह दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। आईपी श्रेणी-1 कंपनियां जिनका भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के साथ वैध पंजीकरण है, वे भी अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

6.2 "तार मार्ग के अधिकार" ("राइट ऑफ वे") की अनुमति सेवा प्रदाता के लाइसेंस की वैधता अवधि तक मान्य होगी।

6.3 लाइसेंसधारी भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय से प्राप्त लाइसेंस, शर्तों, प्रावधानों और पात्रता की सीमा में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार "तार मार्ग के अधिकार" ("राइट ऑफ वे") प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

6.4 शासकीय अथवा निजी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि/भवन पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने की अनुमति/लाइसेंस निजी पक्ष और दूरसंचार सेवा

प्रदाता/आईपी कंपनी के बीच निष्पादित समझौते के उपरान्त दी जाएगी। यदि भूमि/भवन पीएसयू, स्थानीय प्राधिकरण, निगम या राज्य सरकार या भारत सरकार के हैं, तो अनुमति संबंधित संस्था से सहमति/समझौता करने के बाद ही दी जाएगी।

अध्याय – 2

भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना

7. लाइसेंसी द्वारा आवेदन –

7.1. लाइसेंसी को किसी भी स्थान पर भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए प्रकरणवार आवेदन करना होगा। इस आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-1 में है।

7.2 आवेदक को जिस भूमि पर भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना करना है यदि वह निजी भूमि है तो भूमि स्वामी एवं आवेदक कंपनी के मध्य हुए समझौते की प्रति या सहमति उपलब्ध कराने पर अनुमति दी जाएगी।

7.3 यदि भूमि पीएसयू, स्थानीय प्राधिकरण, निगम या राज्य सरकार या भारत सरकार की हैं, तो संबंधित प्राधिकरण, सरकार या निकाय से सहमति प्राप्त करने के बाद ही अनुमति दी जाएगी।

7.4 लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाए-

7.4.1 केन्द्र सरकार द्वारा आवेदक को दिए गए लाइसेंस की प्रति।

7.4.2 राज्य और जिला कार्य योजना की प्रति।

7.4.3 प्रस्तावित की गई भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना का विवरण।

7.4.4 प्रस्तावित की गई भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना के ऊपर की संरचनाओं का विवरण।

7.4.5 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किये जाने वाले ओ.एफ.सी नेटवर्क का नक्शा जो जीआईएस (अक्षांश और देशांतर का विवरणी के साथ) पर हो तथा आवेदन की तारीख तक अपडेट किया गया हो।

7.4.6 सर्वेक्षण रिपोर्ट और जीआईएस नक्शे पर फायबर के प्रस्तावित पथ का विवरण।

7.4.7 कार्य निष्पादन का तरीका और समय अवधि।

7.4.8 यदि लाइसेंसधारी विशिष्ट तरीके से काम करने की योजना रखता है तो उसका विवरण एवं कार्य पूर्ण होने के अनुमानित दिवस।

7.4.9 कार्य पर अनुमानित व्यय का विवरण।

- 7.4.10 नागरिकों को होने वाली असुविधा का आंकलन और ऐसी असुविधा को कम करने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी।
- 7.4.11 कार्य निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले उपायों की जानकारी।
- 7.4.12 आवेदक के अनुसार ऐसे तथ्यों की जानकारी जो प्रस्तावित किए जाने वाले कार्य से जुड़े हो।
- 7.4.13 कार्य से जुड़े ऐसे तथ्य जो केंद्र सरकार, राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश से प्रभावित होते हो।
- 7.4.14 लाइसेंसी आवेदन करते समय यह वचन पत्र देगा कि भवन, सड़क या भूमि के मूल स्वरूप की बहाली के लिए वह उचित और विवेकपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा एवं कार्य के फलस्वरूप होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए प्राधिकारी द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु उत्तरदायी रहेगा।
- 7.4.15 क्षतिपूर्ति बांड, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि आवेदक किसी भी नुकसान या क्षति की पूर्ति या किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से होने वाले परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

8. समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करना—

- 8.1 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निश्चित तिथि पर आवेदक को कार्य योजना पर प्रस्तुतिकरण देना होगा जिसकी विभाग समीक्षा करेगा।
- 8.2 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस में कार्य योजना को संशोधन करने, स्वीकृत करने या कारण बताते हुए अस्वीकृत करेगा।
- 8.3 कार्य योजना अस्वीकृत करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाए।
- 8.4 आवेदक संशोधित कार्य योजना 7 दिवस में प्रस्तुत करेगा अथवा उक्त आवेदन निरस्त माना जाएगा।
- 8.5 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आवेदन को जिला स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगा।

9. नीति के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर के अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा—

- कलेक्टर— अध्यक्ष
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत— सदस्य
- वन मण्डलाधिकारी— सदस्य
- कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग— सदस्य
- कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग— सदस्य
- कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग— सदस्य
- मंडल अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी— सदस्य
- संबंधित आयुक्त, नगर निगम या नगर पालिका अधिकारी— सदस्य
- संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व— सदस्य
- उप संचालक, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग— सदस्य
- उप/संयुक्त/ अपर जिलाधीश (इ.सू.प्रौ के प्रभारी)— सदस्य सचिव
- राज्य सरकार के ऐसे विभाग जिनके भवन या भूमि पर दूरसंचार अवसंरचना का कार्य प्रस्तावित है तो समिति में उन विभागों के जिलाधिकारी कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में रखे जाएं।
- निजी सेवा प्रदाता कंपनी एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारी की आवश्यकता होने पर कलेक्टर द्वारा उन्हें आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है।

10. जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित मापदंडों पर आवेदन की जांच करेगी—

- 10.1 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहमति।
- 10.2 जिले की कार्य योजना।
- 10.3 भारत सरकार द्वारा जारी लाईसेंस की वैधता।
- 10.4 भूमिगत या भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना के लिए प्रस्तावित मार्ग जिसे सार्वजनिक बुनियादी संरचनाओं से इंगित किया गया है की उपयुक्तता।
- 10.5 कार्य निष्पादन का तरीका।
- 10.6 कार्य के निष्पादन की समयावधि और उसे प्रारंभ करने का अनुमानित दिन।
- 10.7 प्राक्कलन में व्यय का आंकलन, जिससे प्राधिकारी प्रस्तावित कार्य का स्वरूप को ज्ञात कर सके।
- 10.8 सार्वजनिक सुरक्षा और असुविधा को दूर करने या कम करने के उपाय हेतु आवेदक द्वारा दी गई कार्य योजना का आंकलन करना।
- 10.9 कार्य के दौरान हुई किसी भी क्षति की पूर्ति हेतु आवेदक की जिम्मेदारी तय करने हेतु दस्तावेजों का सत्यापन करना।

10.10 प्राधिकारी भूमिगत या भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना एवं रखरखाव से जुड़े आदेश दे सकेगा।

11. जिला स्तरीय समिति के दायित्व—

11.1 जिला स्तरीय समिति आवेदन पत्र की जांच कर सहमति/असहमति या प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव पर संशोधन प्रदान करेगी।

11.2 अधिनियम और नियमों में दर्शाई शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाए परन्तु यह शर्त सीमित नहीं है। सार्वजनिक सुरक्षा और असुविधा को कम करने एवं उसे बहाल करने तथा क्षति की पूर्ति आदि संबंधी शर्तें जोड़ी जा सकती हैं।

11.3 अस्वीकृत किये गये आवेदनों पर अस्वीकृति का कारण दर्शाया जाए।

11.4 किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाए।

11.5 आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में, समुचित प्राधिकारी आवेदक द्वारा जमा किया गया शुल्क जब्त कर सकता है।

11.6 यदि जिला स्तरीय समिति आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अपने निर्णय को बताने में विफल रहता है, तो अनुमति/एनओसी प्रदान की गई मानी जाएगी।

12. प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार आवेदक प्राधिकरण की भूमि पर काम करने से होने वाले नुकसान के मुआवजे के एवज में संबंधित विभाग को बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा, जिसकी दरें निम्नानुसार होगी—

क्रमांक	विभाग	सड़क की श्रेणी	प्रति कि.मी. बैंक गारंटी की राशि
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	राष्ट्रीय राजमार्ग	एन.एच.ए.आई./ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर अनुसार
2	लोक निर्माण विभाग	बस्तर और सरगुजा राजस्व संभाग की सड़कें	रु. 5,000 /—
		बस्तर और सरगुजा राजस्व संभाग को छोड़कर अन्य राजस्व संभागों की सड़कें	रु. 25,000 /—
3	नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग	60 फीट या उससे अधिक चौड़ाई की सड़कें	रु. 50,000 /—
		30 से 60 फीट चौड़ाई की सड़कें	रु. 25,000 /—

		30 फीट से कम चौड़ाई की सड़कें	रु. 15,000 /—
4	राज्य सरकार के अन्य विभाग (नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग और लोक निर्माण विभाग को छोड़कर)	विभाग द्वारा निर्मित एवं संधारित सड़क	रु. 5,000 /—

12.1 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप वन भूमि पर काम करने के लिए वन विभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। परन्तु, जिन वन क्षेत्रों में शासकीय मार्ग, राजमार्ग एवं अन्य शासकीय संरचना आदि के लिए राइट ऑफ वे की अनुमति प्रदान की गई है तो पुनः वन विभाग से राइट ऑफ वे की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

12.2 भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर "तार मार्ग का अधिकार" की अनुमति दी जाएगी।

12.3 राज्य की बिजली कंपनियां ट्रांसमिशन लाइनों, सब-ट्रांसमिशन लाइनों और बिजली वितरण लाइनों पर एन.ओ.एफ.एन./भारतनेट योजना/ अन्य शासकीय योजना के तहत केबल बिछाने के लिए आवेदक को निशुल्क अनुमति देंगी।

12.4 इस नियम के तहत नेशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) परियोजना, भारतनेट परियोजना या किसी अन्य शासकीय परियोजना के क्रियान्वयन करने के लिए आवेदक को शासकीय भूमि पर तार मार्ग का अधिकार की निःशुल्क अनुमति प्रदान की जाए।

12.5 उपरोक्त कंडिका 12.2 के तहत उल्लेखित सड़कों के अलावा अन्य सड़कों पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने वाले आवेदक के लिए, निम्नानुसार शुल्क लागू होगा—

क्रमांक	परियोजना का प्रकार	शुल्क प्रति किलोमीटर
1	शासकीय दूरसंचार परियोजना/एनओएफएन/भारतनेट	0.00
2	कोई अन्य परियोजना	1000.00

13. भूमि के ऊपर केबल बिछाना या डालना—

13.1 भूमि के ऊपर केबल बिछाने/डालने का शुल्क निम्नानुसार होगा—

क्रमांक	विवरण	शुल्क (रूपये)
1	मार्ग के लिए अनुमति शुल्क (एक क्षेत्राधिकार की सीमा के अधीन)	रु. 5,000 /—

2	विद्युत एवं स्थानीय निकाय के पोल का किराया (प्रति पोल प्रति वर्ष)	शहरी क्षेत्रों के लिए रु. 100/- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रु. 50/-
---	---	--

13.2 उपयुक्त प्राधिकारी आवेदक से भूमिगत/भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए इस अध्याय में निर्धारित शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लेगा।

14. कार्य निष्पादन में आवेदक के दायित्व—

14.1 आवेदक, उपरोक्त कंडिका 12 में उल्लेखित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात ही काम शुरू करेगा।

14.2 आवेदक, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करेगा एवं कार्य प्रारंभ करने के पूर्व बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। आवेदक सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमति देने की तारीख से तीस दिनों की अवधि में कार्य प्रारंभ करेगा।

14.3 आवेदक दूरसंचार अवसंरचनाओं की भौगोलिक स्थिति, संरचना का स्थान, ले-आउट एवं प्रगति आदि की जानकारी समुचित प्राधिकारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करेगा।

14.4 आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और जिला स्तरीय समिति को कार्य प्रारंभ करने की तारीख से अवगत कराना तत्काल होगा। आवेदक जिला स्तरीय समिति द्वारा दी गई अनुमति और प्रदत्त लेआउट के अनुरूप कार्य करेगा।

14.5 आवेदक अच्छा कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा और संपत्ति को नुकसान से बचाने एवं सेवाओं को बहाल रखने का प्रयास करेगा। किसी तरह के नुकसान या सेवा के व्यवधान होने के 24 घंटे के भीतर आवेदक को स्वयं के व्यय पर संपूर्ण सुधार और बहाली विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार करना होगी।

14.6 आवेदक विद्युत सेवा प्रदान करने वाली कंपनी की संपत्तियों पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान या व्यवधान के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार के नुकसान का सुधार, सेवा की बहाली, राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति या अन्य लागत का भुगतान आवेदक द्वारा संबंधित विद्युत सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को किया जाएगा। कंपनियों द्वारा लाइनों के स्थानांतरण करने पर आवेदक स्वयं के व्यय पर अपने केबल को हटाने और पुनः स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

14.7 आवेदक पूर्ण रूप से जान माल की सुरक्षा और जीवित या आवेशित तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

14.8 यदि प्रदत्त भूमि या संरचनाओं का उपयोग दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने में किया जाना है और भूमि पर फसल है तो आवेदक को भूमि या फसल के लिए मुआवजा या किराया देना होगा। किसी भी विवाद के मामले में जिला स्तरीय समिति का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

14.9 आवेदक का उपयोग की गई संपत्ति पर कोई मालिकाना हक नहीं होगा। वह संपत्ति पहले की तरह संबंधित एजेंसी या स्वामी की होगी।

14.10 ऑप्टिकल फाइबर स्थापित करने के लिए सड़क के किनारे स्थायी नालियों का निर्माण किया जाए।

14.10.1 विभिन्न एजेंसियां राज्य में बनाए जा रहे राजमार्गों, मुख्य सड़कों और जिला सड़कों आदि के किनारे स्थायी नालियों का निर्माण करेगी।

14.10.2 इन नालियों के निर्माण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति उपयोगिता शुल्क के रूप में सेवा प्रदाताओं/लाइसेंसी/कंपनी से प्राप्त की जा सकती हैं। यह शुल्क राज्य सरकार द्वारा तय किया जाए।

14.10.3 इन नालियों के उपयोग की अनुमति और उपयोगिता की समीक्षा का कार्य जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाए।

14.10.4 जिन सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया गया है, उन सड़कों के किनारे पर केबल डालने हेतु खुदाई करने की अनुमति नहीं दी जाए।

15. कार्य की निगरानी के लिए समुचित प्राधिकारी की शक्तियां—

15.1 प्राधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी कार्य निष्पादन का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक द्वारा प्रदत्त की शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।

15.2 उपरोक्त अवलोकन में यदि शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकारी नई शर्तें अधिरोपित कर सकता है।

15.3 यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक ने अनुमति प्रदान करने की किसी शर्त का जानबूझकर उल्लंघन किया है, तो वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक

गारंटी को जब्त कर सकता है और दी गई अनुमति वापस ले सकता है, जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाए।

15.4 जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता तब तक उप-नियम 15.3 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अध्याय-3

भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना

16. आवेदक द्वारा आवेदन-

16.1 निजी या सार्वजनिक भूमि, जो किसी प्राधिकरण के नियंत्रण में है, के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना, जिसमें सभी प्रकार के टॉवर और पोल सम्मिलित हैं, की स्थापना के लिए आवेदक अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

16.2 निजी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि/भवन पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने की अनुमति निजी पक्ष और आवेदक के बीच निष्पादित समझौते या सहमति की प्रति के प्रस्तुत करने पर दी जाए। यदि भूमि/भवन राज्य सरकार या भारत सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकाय या निगम की हैं, तो संबंधित सरकार या प्राधिकारी या निकाय से सहमति प्राप्त करने के बाद ही अनुमति दी जाए।

16.3 लाइसेंसी को किसी भी स्थान पर भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए प्रकरणवार आवेदन करना होगा। इस आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-2 में है।

16.4 लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाए-

16.4.1 केन्द्र सरकार द्वारा आवेदक को दिए गए लाइसेंस की प्रति।

16.4.2 जिला कार्य योजना की प्रति।

16.4.3 आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले दूरसंचार टावर्स एवं इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस की पूर्ण सूची, जिसमें निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर की जीआईएस नक्शा (अक्षांश और देशांतर का विवरण के साथ) जो आवेदन की तारीख तक अपडेट किया गया संलग्न करना होगा।

16.4.4 प्रस्तावित कार्य के स्थान की अक्षांश और देशांतर सहित सही भौगोलिक स्थिति।

16.4.5 भूमि के ऊपर दूरसंचार का अवसंरचना की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल, भवन या संरचना का विवरण।

- 16.4.6 निजी संपत्ति के मामले भूमि और भवन के मालिक की सहमति/समझौता।
- 16.4.7 यदि खाली भूमि पर टॉवर खड़ा करना है तो भूमि के मालिक की सहमति या उसके साथ समझौता।
- 16.4.8 प्रस्तावित स्थान पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवाओं के संचरण की तारीख से 90 दिनों के भीतर रेडियो तरंगों या हर्ट्जियन तरंगों के संचरण के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमति की प्रति।
- 16.4.9 कार्य निष्पादन के लिए समय की अवधि।
- 16.4.10 नागरिकों को होने वाली असुविधा और ऐसी असुविधा को कम करने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपाय।
- 16.4.11 कार्य के निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय।
- 16.4.12 क्षतिपूर्ति बांड जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि आवेदक किसी भी नुकसान एवं क्षति की पूर्ति या किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से होने वाले परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- 16.4.13 जहां आवश्यक हो, सेवा प्रदाता को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के एयर ट्रेफिक कंट्रोलर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह, प्राचीन/ऐतिहासिक इमारतों के पास टॉवर लगाने के मामले में, पुरातत्व विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा।
- 16.4.14 यदि टॉवर की स्थापना मंत्रालय, विधानसभा, राज्यपाल या मुख्यमंत्री निवास, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय जैसी संवेदनशील इमारतों से 100 मीटर की दूरी के भीतर किया जाना प्रस्तावित है, तो संबंधित विभाग से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा।
- 16.4.15 विस्तृत तकनीकी डिजाइन और ड्राइंग।
- 16.4.16 निम्नालिखित संस्थानों में से किसी एक संस्था के योग्य संरचनात्मक इंजीनियर से चयनित किये गये भवन या टॉवर की संरचनात्मक सुरक्षा और स्थिरता के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाए—
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
 - छत्तीसगढ़ के किसी भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज
 - "इंडियन सोसायटी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स" में पंजीकृत सिविल इंजीनियर
- 16.4.17 आवेदक के अनुसार ऐसे तथ्यों की जानकारी जो प्रस्तावित किए जाने वाले कार्य से जुड़े हो।

16.4.18 कार्य से जुड़े ऐसे तथ्य जो केंद्र सरकार, राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश से प्रभावित होते हो।

16.5 सेल-ऑन-व्हील्स (C.O.W.)- छोटी अवधि (अधिकतम 180 दिन) के आयोजनों/त्योहारों/मेले के प्रबंधन, कवरेज विहिन क्षेत्र या किसी राष्ट्रीय/राज्य आपातकाल के लिए स्थापित की जाने वाली दूरसंचार अवसंरचना को इस नीति के नियमों में सम्मिलित नहीं किया जाए और इस तरह के अस्थायी बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए कोई औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

16.5 आवेदक को टॉवर स्थापित करने या भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए आवेदन करने पर निम्नानुसार शुल्क लागू होगा-

शुल्क का प्रकार	शुल्क की राशि रुपये में			
	नगर निगम	नगर पालिका	नगर पंचायत	ग्राम पंचायत
अनुमति शुल्क/ अनुज्ञा शुल्क	1,50,000	1,00,000	50,000	25,000
नवीनीकरण के लिए शुल्क	30,000	20,000	10,000	10,000
समझौता शुल्क	अनुमति शुल्क का 30 से 50 गुना			अनुमति शुल्क का 15 से 50 गुना
टॉवर साझा करने पर अनुमति के लिए शुल्क	10,000	10,000	10,000	10,000

7. समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान करना-

17.1 भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना किसी अचल संपत्ति पर की जाती है। जो शासकीय, अर्द्धशासकीय, निकाय या प्राधिकरण आदि की हो सकती हैं तो उस अचल संपत्ति का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने की संभावना बहुत कम होगी, अतः सरकारी भूमि के ऊपर उपयोग के अधिकार की अनुमति के मामले में संस्था आवेदक से शुल्क वसूलने का हकदार होगी। इसके लिए संपत्ति का प्राधिकारी वार्षिक शुल्क का लिखित आदेश देगा, जिसका आवेदक को पालन करना होगा। दूरसंचार सेवाओं की प्रकृति सार्वजनिक उपयोगिता और आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती है अतः इन नियमों में दिए शुल्क के अलावा स्थानीय प्राधिकरण/निकाय द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के करों से छूट होगी।

17.2 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निश्चित तिथि पर आवेदक कार्य योजना पर प्रस्तुतिकरण देगा जिसकी विभाग समीक्षा करेगा।

17.3 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस में कार्य योजना को संशोधन करने, स्वीकृत करने या कारण बताते हुए अस्वीकृत करेगा।

17.4 कार्य योजना अस्वीकृत करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

17.5 आवेदक संशोधित कार्य योजना 7 दिवस में प्रस्तुत करेगा अथवा उक्त आवेदन निरस्त माना जाएगा।

17.6 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आवेदन को जिला स्तरीय समिति को अग्रेषित करेगा।

18. इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर की समिति का गठन किया जाए। समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य होंगे, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा तय किया जाए—

क्रमांक	प्रशासनिक क्षेत्र	प्राधिकारी
1	नगर निगम क्षेत्र	आयुक्त, नगरपालिका निगम
2	नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
3	जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

18.1 उपरोक्त प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य सरकार के ऐसे विभाग जिनके भवन या भूमि पर कार्य प्रस्तावित है तो समिति में उन विभागों के अधिकारी सदस्य के रूप में रखे जाएं।

18.2 यह समिति इन नियम में उल्लेखित मापदंडों के आधार पर आवेदन की जांच करेगा।

18.3 नियम में दर्शाई सभी शर्तों के अनुपालन के बाद स्थानीय स्तर की समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाकर जिला स्तरीय समिति को भेजा जाए।

18.4 यदि टॉवरों को बिना परमिट के खड़ा किया जाता है तो स्थानीय प्राधिकरण टावर को हटाने की कार्यवाही करेगा। इस दौरान किसी भी नुकसान के लिए संबंधित कंपनी जिम्मेदारी होगी, और उसे नुकसान की क्षति पूर्ति स्थानीय प्राधिकरण को करना होगा।

18.5 मोबाइल टॉवर/रिले टॉवर की स्थापना करने की अनुमति उसी भूमि पर दी जाएं जो 10% भूमि आरक्षण के तहत पार्क/छात्रावासों हेतु आरक्षित नहीं है।

18.6 सड़कों के लिए चिन्हित भूमि पर मोबाइल टॉवर/रिले टॉवर की स्थापना करने की अनुमति नहीं दी जाए।

18.7 एक टॉवर पर उसी कंपनी या अन्य कंपनी के एंटीना लगाने से क्षेत्र में टॉवरों की संख्या कम की जा सकती है और इस तरह की स्थापना के लिए आवेदक को स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करना होगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

18.8 सक्षम प्राधिकारी को सड़कों के समीप या चौड़ाई में खुदाई के लिए अनुमति देने और टॉवर के निर्माण के लिए अनुमति देने का अधिकार होगा।

18.9 स्थानीय स्तर की समिति को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप शर्तें लगाने का अधिकार होगा। आवेदक को स्थानीय स्तर की समिति द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

18.10 अधिनियम और नियमों में दर्शाई शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाएं परन्तु यह शर्त सीमित नहीं है। सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक असुविधा को कम करने और बहाल करने तथा क्षति की पूर्ति आदि संबंधी शर्तें जोड़ी जा सकती हैं, जिनका आवेदक को पालन करना होगा।

18.11 किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को अस्वीकृति के कारणों पर सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया हो।

18.12 आवेदन अस्वीकार करने के कारण लिखित में दर्ज करना होगा।

18.13 आवेदन अस्वीकृति की स्थिति में समुचित प्राधिकारी आवेदक द्वारा जमा किया गया शुल्क जब्त किया जा सकता है।

18.14 स्थानीय निवासियों द्वारा टॉवर से विकिरण के संबंध में की गई आपत्तियों की जांच दूरसंचार विभाग, छत्तीसगढ़ के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी, ऐसी आपत्तियों पर तकनीकी विशेषज्ञ का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में आवश्यकता होने पर जन जागरूकता उद्देश्य के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

18.15 प्रत्येक टॉवर/रिले स्टेशन के ऊपर एक रेड सिग्नल लाईट स्थापित की जाना आवश्यक है और प्रत्येक टॉवर/रिले स्टेशन के लिए बिजली कंडक्टर स्थापित किया जाना चाहिए।

18.16 अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

18.17 टॉवर के पास जनरेटर से होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

18.18 यदि प्रस्तावित टॉवर के आसपास बिजली के वितरण के लिए कोई विद्युत लाइन है तो विद्युत लाइनों और प्रस्तावित टॉवर के बीच की दूरी भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुरूप रखी जाए।

18.19 शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पताल / डिस्पेंसरी की इमारतों पर संस्था प्रमुख की सहमति के बगैर टॉवर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाए।

18.20 इस नीति के अंतर्गत आवश्यक अनुमति लेने के अलावा किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

18.21 सभी प्रकार की भूमि एवं भवनों पर दूरसंचार टॉवर स्थापित किये जा सकते हैं, चाहे वे किसी भी उपयोग की प्रकृति के हों। दूरसंचार टॉवरों की स्थापना के उद्देश्य से, किसी भी भूमि या भवन के उपयोग की प्रकृति को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

18.22 आवेदक को किसी भी मरम्मत या रखरखाव कार्य के बारे में सात दिन पहले स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करना होगा।

18.23 टॉवर निर्माण से संबंधित शिकायतों के मामले में, प्रकरण स्थानीय प्राधिकारी को जांच के लिए भेजा जाएगा और उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।

18.24 इन नियमों के लागू होने से पहले जारी किए गए आदेशों या निर्देशों को इन नियमों के तहत वहां तक प्रासंगिक माना जाएगा, जहां वे इन नियमों के साथ असंगत नहीं हैं।

18.25 राज्य शासन द्वारा तय किए गए अधिमान्य टैरिफ पर दूरसंचार अवसंरचना को प्राथमिकता से बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाए।

18.26 इन नियमों के अनुपालन के उद्देश्य से निष्पादित किए गए दस्तावेज/समझौते को पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत कराया जा सकता है।

18.27 अनुमति का पत्र इन नियमों के अनुरूप प्रारूप परिशिष्ट-3 में जारी किया जाए।

18.28 स्थानीय स्तर के प्राधिकारी को आवेदन की तारीख से तीस (30) दिनों में अपना निर्णय देना होगा।

19. कार्य सम्पादन में लायसेंसधारी के दायित्व—

लाइसेंस/आईपी-1 यह सुनिश्चित करेगा कि;

19.1 भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना और संचालन प्रारंभ होने के पूर्व सार्वजनिक असुविधा को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करेगा जिसमें भूमि के ऊपर अवसंरचना की संरचनात्मक सुरक्षा भी सम्मिलित है।

19.2 भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना और संचालन का कार्य प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुमति की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

20. कार्य की निगरानी के लिए समुचित प्राधिकारी की शक्तियां –

20.1 प्राधिकारी या उनके नामित अधिकारी कार्य का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं, यदि पालन नहीं किया जा रहा है तो वह सक्षम प्राधिकारी को अवगत कराएगा।

20.2 उपरोक्त अवलोकन में यदि शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकारी नई शर्तें अधिरोपित कर सकता है।

20.3 यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक ने प्रदान की गई अनुमति की किसी शर्त का जानबूझकर उल्लंघन किया है, तो वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को जब्त कर सकता है और दी गई अनुमति को वापस ले सकता है, जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाए।

20.4 आवेदक को सुनवाई का अवसर देने एवं संतोषजनक समाधान प्राप्त न होने पर ही कंडिका 20.3 के तहत कार्यवाही की जाए।

अध्याय-4

निर्माण समाधान (IBS)

21. निर्माण समाधानों की स्थापना के विभिन्न तरीके होंगे जैसे—

21.1 निर्माण समाधान (इन बिल्डिंग सॉल्यूशन IBS) में भूमि या भवन पर स्थापित किसी टॉवर या पोल पर उपकरण स्थापित किया जा सकता है।

21.2 जिन स्थानों पर टॉवर या पोल स्थापित है वहां दूरसंचार अवसंरचना के नवीन निर्माण के स्थान पर निम्नानुसार समाधान किये जाएं जैसे—

21.2.1 दूरसंचार अवसंरचना स्थापना करने वाली कंपनी द्वारा पूर्व स्थापित टॉवर या पोल को अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा किया जाए।

21.2.2 कंपनी द्वारा बगैर भेदभाव के यह साझाकरण किया जाए।

21.2.3 यदि कंपनियों को आईबीएस/डीएस नोड्स को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर स्थापित करने की आवश्यकता है तो उसके लिए इस नीति के तहत आर.ओ.डब्ल्यू की अनुमति प्रदान की जाए।

21.3 निजी स्वामित्व से इन उपकरणों को लगाने के लिए अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

22. अनुज्ञेयता—

22.1 इन बिल्डिंग समाधान के लिए स्थानीय निकाय से अनुमति की आवश्यकता नहीं है परन्तु निजी, शासकीय/अर्द्धशासकीय, निकाय या प्राधिकरण आदि भूमि या भवन के स्वामी से सहमति की आवश्यकता है।

23. निर्माण समाधान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया—

23.1 शासकीय/अर्द्धशासकीय, निकाय या प्राधिकरण आदि के भवन के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। जिसके आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी—

23.1.1 शासकीय अर्द्धशासकीय, निकाय या प्राधिकरण के भवन में निर्माण समाधान लागू करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए ले-आउट ड्राइंग के साथ भवन के प्रशासनिक प्राधिकरण/ कार्यालय के प्रमुख को आवेदन किया जाए।

23.1.2 माईक्रोसेल से जुड़े यूटिलिटी बॉक्स वाले प्रत्येक आईबीएस या वाईफाई एंटीना या माईक्रोसेल यूनिट यदि किसी बस शेल्टर, स्ट्रीट लाइट पोल, सार्वजनिक स्थानों सहित किसी भी भूमि या भवन पर स्थापित किए जाते हैं, तो इन परिसरों का वार्षिक शुल्क रु. 500.00 प्रति स्थान की दर पर स्थानीय निकाय या संपत्ति के प्राधिकारी को जमा किया जाए।

23.2 केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना (जैसे प्रधानमंत्री सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना PMWANI Scheme) के अंतर्गत सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाने के लिए काम करने वाली एजेंसी को किसी भी प्राधिकारी से तार मार्ग के अधिकार ("राइट ऑफ वे") की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय — 5**24. भूमिगत या भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना को हटाने के लिए समुचित प्राधिकारी का अधिकार—**

24.1 किसी भी भूमिगत या भूमि के ऊपर दूरसंचार बुनियादी अवसंरचना की स्थापना के बाद से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण किसी निजी या शासकीय/ निकाय की संपत्ति से अवसंरचना को हटाना या उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है, तो प्राधिकारी दूरसंचार अवसंरचना के सेवा प्रदाता को नोटिस जारी करेगा, ताकि उस स्थान से अवसंरचना को हटाया या स्थानान्तरित किया जा सकें।

24.1.1. यदि विभाग सड़क की चौड़ाई बढ़ाना चाहता है तो अवसंरचना के सेवा प्रदाता को एजेंसी द्वारा सुझाए गए सुरक्षित स्थान पर स्वयं के व्यय से अवसंरचना को स्थानांतरित करना होगा।

24.1.2 इस हेतु एजेंसी से सूचना प्राप्त होने पर सेवा प्रदाता दूरसंचार अवसंरचना को हटाने या स्थानान्तरित करने के लिए 30 दिवस में कार्य योजना प्रस्तुत करेगी।

24.1.3 उपरोक्त कार्य योजना पर समुचित प्राधिकारी अनुमोदन प्रदान करेगा।

24.1.4 समुचित प्राधिकारी, ऐसी दूरसंचार अवसंरचना को हटाने हेतु अधिकतम नब्बे दिनों का समय देगा।

24.1.5 ऐसी दूरसंचार अवसंरचना को हटाने या स्थानान्तरित करने के लिए संपूर्ण व्यय एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी।

24.2 स्थानीय निकाय को उन सभी टॉवरों/संरचनाओं को हटाने का अधिकार होगा जिन्हें दूरसंचार विभाग के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक हित, सुरक्षा या नियमों के विरुद्ध माना गया है।

अध्याय – 6

विवादों का समाधान

25. आवेदक और समुचित प्राधिकारी के बीच विवाद—

25.1 आवेदक और अन्य पक्ष के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को भेजा जाएगा।

25.2 इन नीति के लागू होने की तारीख से अधिसूचना द्वारा नामित, या उल्लेखित क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों को विवाद सौंप सकेंगे।

25.3 ऐसे विवादित प्रकरण जो तकनीकी प्रकृति के हैं, पर दूरसंचार विभाग के विशेषज्ञों से तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए।

25.4 टॉवरों से विकिरण उत्पन्न करने के संबंध में किसी भी विवाद को दूरसंचार विभाग, छत्तीसगढ़ को तकनीकी परीक्षण कर प्रतिवेदन देने हेतु भेजा जाए।

26. सेवा प्रदाता के दायित्व एवं कर्तव्य –

26.1 कोई भी सेवा प्रदाता जो तार मार्ग पर अधिकार के लिए आवेदन कर रहा है, उसे उस क्षेत्र में पूर्व से स्वीकृत राइट ऑफ वे को उपयोग करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

26.1.1 जहां टेलीकॉम टॉवर पहले से मौजूद हैं, उस क्षेत्र में नये टेलीकॉम टॉवर स्थापित करने वाले सेवा प्रदाता को टॉवरों की संख्या कम करने के लिए पूर्व स्थापित टॉवरों का उपयोग करना चाहिए।

26.1.2 जिन सेवा प्रदाताओं ने किसी क्षेत्र में राइट ऑफ वे की अनुमति प्राप्त कर फायबर बिछाये या डाले हैं, वह अपने फाइबर अन्य सेवा प्रदाताओं को लीज पर दें।

26.1.3 किसी क्षेत्र में दूरसंचार अवसंरचना के अधिकतम उपयोग के बाद ही, आवेदक को नए राइट ऑफ वे के लिए आवेदन करना चाहिए।

27. मौजूदा मोबाइल टावरों का नियमितीकरण—

27.1 राज्य में स्थापित ऐसे मोबाइल टॉवर/पोल, जिनके लिए अनुमति नहीं ली गई है या पूर्व में दी गई अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया गया है, उन्हें बिना किसी ब्याज या कंपाउंडिंग शुल्क के इस नियम के लागू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि में अनुमति शुल्क का भुगतान कर नियमित किया जा सकेगा। इस अवधि के बाद अनुमति शुल्क के अलावा 10 हजार रुपये के अतिरिक्त दण्ड शुल्क के भुगतान पर नियमितीकरण किया जाए।

28. सेवा में व्यवधान एवं सुरक्षा—

28.1 दूरसंचार अवसंरचना एक महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना है। यह अति आवश्यक सेवा है। इसकी सुरक्षा, संरक्षा और संचार में व्यवधान से बचने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाए—

28.1.1 विद्युत चुम्बकीय विकिरण के मुद्दे पर वर्तमान में संचालित बेस ट्रांसीवर स्टेशन को सील करने या उसकी बिजली विच्छेद करने का कार्य दूरसंचार विभाग की टर्म सेल की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकेगा।

28.1.2 दूरसंचार अवसंरचना की सुविधा को जानबूझकर या लापरवाही से नुकसान पहुंचाने और नेटवर्क कनेक्टिविटी में रूकावट पैदा करने के खिलाफ प्राधिकारी द्वारा संबंधित कानून अनुसार सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएं।

29. नियमों का अधिभावी प्रभाव होना—

29.1 इन नियमों के प्रावधान किसी भी अन्य कानून में निहित असंगत स्थिति के साथ प्रभावी नहीं होंगे, जब तक कि इन नियमों के अलावा वे किसी भी कानून के प्रभाव में या किसी भी साधन में निहित हो।

29.2 यह नीति पूरे राज्य में लागू होगी तथा शासन के सभी विभागों/कंपनियों/एजेंसियों/नगरीय निकायों में प्रभावशील होगी।

29.3 किसी भी व्याख्या के लिए नीति के हिन्दी संस्करण को संदर्भित किया जाए।

परिशिष्ट - 1

छत्तीसगढ़ में भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना हेतु तार मार्ग के अधिकार ("राइट ऑफ वे") की नीति, 2021 के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र

मैं/हम मेसर्स..... पता

के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, और छत्तीसगढ़ में भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं—

1	आवेदक कंपनी/ फर्म का नाम, पूर्ण पता, ई-मेल पता एवं फोन नम्बर	
2	आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण (नाम, पद, पता, मोबाईल नम्बर) कंपनी के प्रतिनिधि का प्राधिकार पत्र संलग्न करें।	
3	आवेदक द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त लाइसेंस का विवरण (जारीकर्ता का पदनाम, क्रमांक एवं दिनांक)	
4	दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस की वैधता अवधि बताएं।	
5	सड़क का विवरण जहां भूमिगत फाइबर स्थापित किया जाना है	संलग्न प्रारूप— "अ" में जानकारी दें।
6	निजी भूमि जिस पर कार्य किया जाना है उसकी जानकारी	संलग्न प्रारूप— "ब" में जानकारी दें।
7	ऐसी भूमि जो सड़क नहीं है तथा राज्य/ केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण या स्थानीय निकाय की है तो जानकारी दें	संलग्न प्रारूप— "स" में जानकारी दें।
8	कृपया कंपनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें—	
	8.1 केन्द्र सरकार द्वारा आवेदक को दिए गए लाइसेंस की प्रति	
	8.2 राज्य/ जिला कार्य योजना की प्रति	
	8.3 भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना की प्रस्तावित भूमि के ऊपर की संरचनाओं का विवरण	
	8.4 प्रस्तावित ओ.एफ.सी नेटवर्क का नक्शा जो जीआईएस (अक्षांश और देशांतर का विवरण के साथ) पर हो तथा आवेदन की तारीख तक अपडेट किया गया हो	
	8.5 सर्वेक्षण रिपोर्ट और जीआईएस नक्शे पर फायबर के प्रस्तावित पथ का विवरण	
	8.6 कार्य निष्पादन का तरीका और समय अवधि दर्शाने वाला दस्तावेज	
	8.7 विशिष्ट तरीके से काम करना है तो उसका विवरण एवं कार्य पूर्ण होने के दिवस	

	8.8 कार्य पर अनुमानित व्यय का विवरण	
	8.9 नागरिकों को होने वाली असुविधा का आंकलन और ऐसी असुविधा को कम करने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी	
	8.10 कार्य निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले उपायों की जानकारी	
	8.11 आवेदक के अनुसार ऐसे तथ्यों की जानकारी जो प्रस्तावित किए जाने वाले कार्य से जुड़े हो	
	8.12 अवसंरचना की स्थापना से पहले की स्थिति के लिए भूमि की बहाली की अनुमानित लागत	
	8.13 कार्य से जुड़े ऐसे तथ्य जो केंद्र सरकार, राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश से प्रभावित होते हो, का विवरण	
	8.14 भवन, सड़क या भूमि के मूल स्वरूप की बहाली के लिए वह उचित और विवेकपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करने एवं कार्य के फलस्वरूप होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए प्राधिकारी द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु उत्तरदायी होने का मूल वचन पत्र	
	8.15 किसी भी नुकसान या क्षति की पूर्ति या किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से होने वाले परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी स्वीकार करने का मूल क्षतिपूर्ति बांड	
	8.16 जिस भूमि के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, वह क्षेत्र	
9	अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहे	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई जानकारी एवं संलग्न किये गये दस्तावेज सही हैं एवं संबंधितों द्वारा हस्ताक्षरित हैं। यदि कोई दस्तावेज या जानकारी असत्य प्रमाणित हुई तो किसी भी कार्यवाही के लिए हम उत्तरदायी होंगे।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम-

सील-

प्रारूप- "अ"**भूमिगत फाइबर स्थापित करने वाली सड़क का विवरण**

क्रमांक	सड़क का नाम	किस विभाग/प्राधिकरण/निकाय की सड़क है	सड़क के संभाग/उपसंभाग एवं प्राधिकारी का विवरण	किस कि.मी से किस कि.मी तक कार्य करना है	कुल कि.मी	सक्षम प्राधिकारी की सहमति/समझौता संलग्न करें

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई जानकारी एवं संलग्न किये गये दस्तावेज सही है एवं संबंधितों द्वारा हस्ताक्षरित हैं। यदि कोई दस्तावेज या जानकारी असत्य प्रमाणित हुई तो किसी भी कार्यवाही के लिए हम उत्तरदायी होंगे।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम-

सील-

प्रारूप- "ब"**भूमिगत फाइबर स्थापित करने वाली निजी भूमि का विवरण**

क्र.	खसरा/जमीन के प्लॉट नंबर	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत/नगर	तहसील	जिला	कुल मीटर जिसमें कार्य किया जाना है	भूमि स्वामी की सहमति/समझौता संलग्न करें

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई जानकारी एवं संलग्न किये गये दस्तावेज सही है एवं संबंधितों द्वारा हस्ताक्षरित हैं। यदि कोई दस्तावेज या जानकारी असत्य प्रमाणित हुई तो किसी भी कार्यवाही के लिए हम उत्तरदायी होंगे।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम-

सील-

प्रारूप- "स"

भूमिगत फाइबर स्थापित करने वाली ऐसी भूमि जो सड़क नहीं है तथा राज्य/ केन्द्रीय शासन या प्राधिकरण या स्थानीय निकाय की है का विवरण

क्र.	खसरा/ जमीन के प्लॉट नंबर	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत/ नगर	तहसील	जिला	कुल मीटर जिसमें कार्य किया जाना है	भूमि स्वामी की सहमति/ समझौता संलग्न करें

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई जानकारी एवं संलग्न किये गये दस्तावेज सही है एवं संबंधितों द्वारा हस्ताक्षरित हैं। यदि कोई दस्तावेज या जानकारी असत्य प्रमाणित हुई तो किसी भी कार्यवाही के लिए हम उत्तरदायी होंगे।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम-

सील-

परिशिष्ट - 2

छत्तीसगढ़ में भूमि के ऊपर अवसंरचना की स्थापना हेतु तार मार्ग के अधिकार ("राइट ऑफ वे") की नीति, 2021 के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र

मैं/हम मेसर्स..... पता

के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, और छत्तीसगढ़ में भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं—

1	आवेदक कंपनी/ फर्म का नाम, पूर्ण पता, ई-मेल पता एवं फोन नम्बर	
2	आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण (नाम, पद, पता, मोबाईल नम्बर) कंपनी के प्रतिनिधि का प्राधिकार पत्र संलग्न करें।	
3	आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं टेलीफोन/ मोबाईल नम्बर	
4	आवेदक द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त लाइसेंस का विवरण (जारीकर्ता का पदनाम, क्रमांक एवं दिनांक)	
5	दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस की वैधता अवधि बताएं।	
6	उन स्थानों का विवरण जहां अनुमति भूमि के ऊपर आधारित टॉवरों की स्थापना के लिए है 1. सरकारी भूमि पर स्थानों की संख्या 2. निजी भूमि पर स्थानों की संख्या 3. कुल स्थानों की संख्या जिनके लिए आवेदन किया गया है— (प्रपत्र—"क" में प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग आवेदन संलग्न करें)	
7	उन स्थानों का विवरण जहां छत पर टावरों की स्थापना के लिए अनुमति चाही गई 1. सरकारी भवनों पर स्थानों की संख्या 2. राज्य सरकार के निकाय/निगम/प्राधिकरण बोर्ड के भवनों की संख्या 3. कुल भवनों की संख्या, जिसके लिए आवेदन किया गया है— (प्रपत्र- "ख" में प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग आवेदन संलग्न करें)	

8	उन स्थानों का विवरण जहां भूमि के ऊपर तार मार्ग के अधिकार अनुमति के लिए आवेदन किया गया है— 1. सरकारी जमीन पर स्थानों की संख्या 2. राज्य सरकार के निकाय/निगम/प्राधिकरण की भूमि पर स्थानों की संख्या 4. कुल स्थानों की संख्या जिनके लिए आवेदन किया गया है— 3. (प्रपत्र—“क” में प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग आवेदन संलग्न करें)	
9	आवेदन पत्र के साथ विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करें	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई जानकारी एवं संलग्न किये गये दस्तावेज सही हैं एवं संबंधितों द्वारा हस्ताक्षरित हैं। यदि कोई दस्तावेज या जानकारी असत्य प्रमाणित हुई तो किसी भी कार्यवाही के लिए हम उत्तरदायी होंगे।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम-

सील—

प्रपत्र- "क"

**राज्य शासन, स्थानीय निकाय या प्राधिकरण की भूमि के ऊपर
अवसंरचना स्थापित करने के लिए राईट ऑफ वे की अनुमति के लिए
आवेदित भवन/भूमि का विवरण**

1. आवेदक कंपनी/ फर्म का नाम, पूर्ण पता, ई-मेल पता एवं फोन नम्बर	
2. आवेदक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण	
3. (नाम, पद, पता, मोबाईल नम्बर) कंपनी के प्रतिनिधि का प्राधिकार पत्र संलग्न करें।	
4. भूमि का विवरण जहां टॉवर/भूमि के ऊपर स्थापित किया जाना है	
5. खसरा/जमीन के प्लॉट नंबर, गांव का ब्योरा	
6. स्थान और पता	
7. भूमि का मालिक विभाग	
8. क्या भूमि राज्य सरकार की है या राज्य सरकार के उपक्रम की (नाम दें)	
9. भूमि की वर्तमान स्थिति	
1. भूमि पर स्थित भवन की जानकारी	
2. भूमि का वर्तमान उपयोग	
3. सड़क से आवेदित भूमि की दूरी	
4. भवन से आवेदित भूमि की दूरी	
5. भूमि के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइनों की जानकारी	
6. भूमि पर मौजूद ड्रेनेज/सीवर लाइन आदि होने की जानकारी	
7. भूमि पर मौजूद फुटपाथ/पगडंडी	
8. जिस जमीन पर अवसंरचना की स्थापना की जाना है, वह पक्की है या कच्ची	
9. यदि पक्की तो भूमि की प्रकृति को बताएं फुटपाथ/सड़क/मंच आदि की जानकारी दें।	
10. बिछाई जाने वाले अवसंरचना का विवरण-	
1. केबल्स, नालियां आदि।	
2. गहराई जिसमें की अवसंरचना का स्थापित की जाना है।	
3. आरओडब्ल्यू आवश्यक भूमि की चौड़ाई सहायक उपकरण के लिए आवश्यक (वर्ग मीटर में) यदि कोई हो	

11. उस भूमि का क्षेत्र जिसकी अनुमति के लिए आवेदन किया गया है 1. लंबाई - (मीटर में) 2. चौड़ाई - (मीटर में)	
12. भूमि की मूल स्थिति की बहाली की अनुमानित लागत	
13. संलग्नक 1. भवन के स्थान को दिखाने वाला गूगल मैप, 2. स्थान का देशांतर और अक्षांश एवं जीआईएस मैप 3. टॉवर के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का प्रमाणपत्र 4. भवन की तस्वीर	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई जानकारी एवं संलग्न किये गये दस्तावेज सही हैं एवं संबंधितों द्वारा हस्ताक्षरित हैं। यदि कोई दस्तावेज या जानकारी असत्य प्रमाणित हुई तो किसी भी कार्यवाही के लिए हम उत्तरदायी होंगे।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम-

सील-

प्रपत्र- "ख"

निजी, शासकीय, अर्द्धशासकीय, निकाय और प्राधिकरण आदि के भवन की छत पर टॉवर की अनुमति हेतु आवेदन का विवरण

1	आवेदक कंपनी/ फर्म का नाम, पूर्ण पता, ई-मेल पता एवं फोन नम्बर	
2	आवेदक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण (नाम, पद, पता, मोबाईल नम्बर) कंपनी के प्रतिनिधि का प्राधिकार पत्र संलग्न करें।	
3	भवन का विवरण जहां टॉवर स्थापित किया जाना है	
4	स्थान और पता	
5	भवन के निजी मालिक/विभाग का नाम	
6	क्या भवन शासकीय, अर्द्धशासकीय, निकाय और प्राधिकरण के अंतर्गत है, विवरण दें।	
7	भवन की वर्तमान स्थिति 1 भवन की ऊंचाई 2 भवन का वर्तमान उपयोग 3 भवन से गुजर रही बिजली लाईनों का विवरण 4 छत पर मौजूद अन्य संरचनाएं 5 भवन विवरण का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
8	स्थापित किए जाने वाले टॉवर का विवरण 1 टॉवर की ऊंचाई 2 टॉवर का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र संलग्न करें। 3 आधार पर टॉवर की जमीन का आवश्यक कवरेज क्षेत्र (वर्गमीटर में) 4 सहायक उपकरणों के लिए आवश्यक क्षेत्र (वर्गमीटर में) 5 क्या बुनियादी ढांचे की स्थापना से किसी भी संरचना को नुकसान होगा, विवरण दें।	
9	छत का क्षेत्र जिसकी अनुमति के लिए आवेदन किया गया है	
10	बुनियादी ढांचे की स्थापना से पहले की स्थिति के लिए भवन की बहाली की अनुमानित लागत	
11	निम्नलिखित प्रमाणित प्रति संलग्न करें— (अ) भवन के स्थान को दिखाने वाला गूगल मैप (ब) स्थान का देशांतर और अक्षांश जीआईएस मैप (स) टॉवर के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र	

(द) भवन की तस्वीर (इ) निजी भवन के मामले में मालिक की सहमति	
---	--

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई जानकारी एवं संलग्न किये गये दस्तावेज सही है एवं संबंधितों द्वारा हस्ताक्षरित हैं। यदि कोई दस्तावेज या जानकारी असत्य प्रमाणित हुई तो किसी भी कार्यवाही के लिए हम उत्तरदायी होंगे।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम-

सील-

कार्यालय

.....

.....

**छत्तीसगढ़ में दूरसंचार अवसंरचना के विकास करने हेतु तारमार्ग के अधिकार
नियम- 2021 के अंतर्गत लाइसेंसी को अनापत्ति प्रमाण पत्र**

अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक

दिनांक

मेसर्स जो, भारत सरकार, दूरसंचार विभाग से दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी.एस.पी.) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी)/इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (आई.पी.) हेतु लाइसेंस प्राप्त कंपनी/ है, जिनका पंजीकरण क्रमांक है, तथा जो दिनांक तक वैध है, को राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर छत्तीसगढ़ तारमार्ग के अधिकार नियम- 2021 के अधीन भूमि के ऊपर दूरसंचार अवसंरचना/भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना (जो लागू न हो उसे काट दें) की स्थापना एवं रखरखाव हेतु एतद्वारा अनुमति दी जाती है।

क्रमांक	भूमि या भवन स्वामी का नाम विभाग का नाम	भूमि, सड़क या भवन का विवरण	भूमि के ऊपर आधारित टॉवर/छत	तारमार्ग के अधिकार (RoW) का क्षेत्र (वर्ग मीटर में)

यह प्रमाण पत्र दिनांक से दिनांक तक की अवधि के लिए वैध होगा।

समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

Atal Nagar, the 12th March 2021

NOTIFICATION

No. F 4-54/56/2014/E&IT.— State Government hereby notifies “The Right of Way Policy, 2021 for Development of Telecom Infrastructure in State of Chhattisgarh” as enclosed in Annexure.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SAMEER VISHNOI, Joint Secretary.

ANNEXURE

THE RIGHT OF WAY POLICY, 2021 FOR DEVELOPMENT OF TELECOM
INFRASTRUCTURE IN STATE OF CHHATTISGARHCHAPTER I
GENERAL INFORMATION

1. BACKGROUND

The Government of India has started the work of laying optical fibre network through National Optical Fibre Network and subsequently through BharatNet for providing broadband wireless and wireline connectivity to all rural and urban areas. Though, Telecommunication is a Central subject under Ministry of Communication, Govt. of India, the support of the State is necessary so that the necessary provisions for approvals and permissions for the installation of Telecom Infrastructure and its Operations and Maintenance may be established for the license holders. Under which the license holder, may have the provisions for prior approvals from Government Departments and Private building and landowners as per the Right of Way (RoW) policy - 2016 of Government of India.

To lay the optical fibre along the roads owned by Public Works Department, Forest Department, Rural Development Department, urban bodies etc., under the ground or on electric poles of Chhattisgarh State Power Companies the service provider needs prior permission. There are different rules for granting permission in different departments in the State, which delays the implementation of the project due to obtaining permission from different offices.

2. OBJECTIVES

- 2.1 Facilitate, simplify and regulate the process of setting up telecom infrastructure in the State
- 2.2 Implementing a simple and transparent process of granting permission to the licensees for setting up telecommunications infrastructure on Government / Semi-Governmental institutions and privately owned land or buildings in rural and urban areas on demand.
- 2.3 Implementing the process of granting permission, within specified time limits, upon receiving the application for setting up all types of mobile towers, OFC, in-building solutions and other telecommunications infrastructures

- 2.4 Encourage the development of Telecommunication network in remote, hilly and LWE affected areas of the State.
- 2.5 Establishment of modern telecommunication infrastructure to provide high speed internet in rural and urban areas in the State.
- 2.6 Ensuring delivery of good quality Internet in the areas where mobile connectivity exists and improve terrestrial Broadband connectivity in urban and rural areas.

3. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

- 3.1 This will be called the Chhattisgarh Telecom Right of Way Policy, 2021
- 3.2 This Policy shall come into force from the date of publication in the Official Gazette

4. DEFINITIONS

- 4.1 “Act” means - the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
- 4.2 “Appropriate authority” or “Authority” means - the Central Government, State Government, Local Administration, body, committee, company or institution incorporated or Authority of the institution that is the authorized to control, manage and maintain the property developed, built or established by the concerned organization.
- 4.3 “Right of Way Rules 2016” means - Gadget Notification for Right of Way permission for development of Telecom / Telegraph Infrastructure in India.
- 4.4 License means - the permission or license granted by the Department of Telecommunications, Government of India to any company, body or institution for the development of telecommunications infrastructure within the limits of the State of Chhattisgarh.
- 4.5 “Licensee” or / and “Applicant” means - Applicants who have been granted license by the Government of India to establish telecom infrastructure and have applied for construction of infrastructure in Chhattisgarh
- 4.6 “Over ground telecom infrastructure” means - a telecom tower or a telecom line established over the ground which includes check points, equipment and instruments installed for operations and maintenance.
- 4.7 “Underground telecom infrastructure” means - a telecom line laid under the ground and includes manholes, marker stones, appliances and apparatus for the purposes of establishment or maintenance of the telecom line.

- 4.8 Cell-on-Wheels means - Mobile Towers established on a temporary (less than 180 days) basis
- 4.9 "Committee" means committee formed to evaluate the proposal submitted by the applicant whose format is mentioned in point no 8.
- 4.10 "Agency" means - the Department or its agency, body, authority, company etc. who are responsible for establishment, construction, repair and maintenance of road, land, electric or telephone line, poles etc.
- 4.11 "RoW" means – Right of Way permission
- 4.12 "Fibre or Cable" means - Optical fibre, Optical ground wire, all Dielectric self-supporting cable and all type of wires, cable which are used for establishment of telecom infrastructure.
- 4.13 "Public Utility Services" means – Such services as provided in the Legal Services Authorities Act, 1987
- 4.14 "Essential Services" OR "Essential service" means – services defined under Essential Services Maintenance Act, 1981
5. APPLICABILITY.
- 5.1 Each appropriate authority will nominate a nodal officer for implementation of this policy.
- 5.2 The appropriate authority shall exercise the powers conferred under this policy on an application for establishment and maintenance of underground or over ground telecom infrastructure by the applicant.
- 5.3 Any permission granted under these rules will not affect any order issued under the Indian Telegraph Act 1885, Indian Electricity Act 2003 and The Indian Wireless Telegraphy Act 1933.
- 5.4 For the implementation and coordination of this policy The Department of Electronics and Information Technology will be nodal department.
- 5.5 To overcome the difficulties in the implementation of the above policy, necessary rules, interpretation, clarification, instructions, will be issued by The Department of Electronics and Information Technology.

- 5.6 Nodal Officer as defined in the policy will receive and scrutinize the applications for issue of permission in their respective area of work for establishment of Telecom Infrastructure.
- 5.6.1 Mobile Towers - Ground base towers [GBT], Roof Top towers [RTT], Roof top poles [RTP]
- 5.6.2 Micro Communication Equipment (Micro Cell)/ Small Cell
- 5.6.3 Optical Fibre Cable – overhead as well as underground.
- 5.6.4 Other appliances and apparatus as per Indian Telegraph Act
- 5.7 A Single Window Portal would be developed and deployed for making the process truly paperless/less paper within 1 years' time of notification of this policy.

6. ELIGIBILITY CRITERIA.

- 6.1 Any applicant who has a valid license/ registration to operate as a Telecom Service Provider (TSP)/ Internet Service Provider (ISP)/Infrastructure Provider (IP) issued by the Department of Telecommunications, Government of India, shall be eligible to obtain permission to setup Telecom Infrastructure. IP Category-I Companies that have a valid registration with the Department of Telecommunications, Government of India, shall also be eligible to obtain a permission.
- 6.2 The permission of “right of way “shall be valid up to the validity period of the license of the service provider.
- 6.3 The licensee shall be eligible to get “Right of Way” according to the rules of the State Government within the limits of conditions, provisions and eligibility received from the Ministry of telecommunication, Government of India.
- 6.4 Permission/ License to establish telecommunication infrastructure on land/building owned by Government or private person shall be granted on production of agreement copy executed between private party and Telecom Service Provider/IP company. In case land/building belong to PSU, Local authority, corporation or State Government or Government of India, Permission to be given only after obtaining consent/agreement from the concerned institution.

CHAPTER II**UNDERGROUND TELECOM INFRASTRUCTURE****7. APPLICATION BY A LICENSEE.**

- 7.1 The licensee will have to case wise apply for the establishment of underground telecommunications infrastructure at any place. The format of this application is in Appendix-1
- 7.2 The land on which the applicant has to set up the underground telecommunications infrastructure, if it is private land, the permission will be given post a copy of consent/ agreement between the landowner and the applicant company is provided.
- 7.3 The permission will be granted subject to providing a copy of agreement or consent between landowner and applicant if the land belongs to PSU, Local Authority, Corporation or State Government or Government of India
- 7.4 The Licensee shall attach the following documents along with the submitted application:
 - 7.4.1 Copy of the licence granted by the Central Government
 - 7.4.2 Copy of State and District Action Plan
 - 7.4.3 The details of underground telecom infrastructure proposed to be laid
 - 7.4.4 The details of above ground infrastructure on the proposed underground infrastructure.
 - 7.4.5 Complete Map of the OFC network to be deployed by the applicant on a GIS data model (with details of Latitude and Longitude) in the State of Chhattisgarh updated till the date of application
 - 7.4.6 Survey report and the details of proposed fibre path on GIS map
 - 7.4.7 The mode of execution of work and the time duration
 - 7.4.8 If the license holder plans to work in a specific way, then its details and estimated days of completion

7.4.9 Details of estimated expenditure on work

7.4.10 Assessment of inconvenience likely to be caused to the public and the measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience

7.4.11 The specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;

7.4.12 Any other facts/matter relevant, in the opinion of the licensee, related to the work proposed to be undertaken

7.4.13 Any other facts/matter related to the work which may get affected/influenced through any order issued by the Central Government, State Government or local authority

7.4.14 While applying, the licensee shall give an undertaking that it shall bear reasonable and prudential responsibility for the restoration of the original nature of the building, road or land and will be responsible to act in accordance with the instructions given by the authority to compensate for the damage caused by the work.

7.4.15 The indemnity bond, which clearly states that the applicant will be fully responsible for consequences of any loss or damage or for any civil or criminal proceedings.

8. GRANT OF PERMISSION BY APPROPRIATE AUTHORITY.

8.1 The applicant will make a presentation on the work plan to the Department of Electronics and Information Technology on a specified date for review by the Department.

8.2 The appropriate authority of Electronics and IT Department shall suggest amendment, approve or reject along with reasons within 15 days of receipt of the application.

8.3 The applicant shall be given an opportunity for hearing before rejecting the application.

8.4 The applicant shall submit the revised application within 7 days else the above application will be rejected.

8.5 The Department of Electronics and IT shall forward the application to the District Level Committee

9. FOR IMPLEMENTATION OF THE POLICY A DISTRICT LEVEL COMMITTEE WILL BE CONSTITUTED UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE COLLECTOR, THE STRUCTURE OF WHICH WILL BE AS BELOW:

- Collector - Chairman
- Chief Executive Officer, Zila Panchayat - Member
- District Divisional Forest Officer - Member
- Executive Engineer, Public Works Department - Member
- Executive Engineer, Water Resource Department - Member
- Executive Engineer, Public Health Engineering - Member
- Divisional Engineer, Chhattisgarh State Power Distribution Company - Member
- Concerned Municipal Commissioner/ Chief Municipal officer - Member
- Concerned SDO, Revenue - Member
- Deputy Director of Town and Country Planning - Member
- Deputy/Joint/Additional Collector (In charge of E&IT) - Member Secretary
- The departments of the State Government, on whose building or land the telecom infrastructure work is proposed, then the District authorities of those departments should be kept as a member in the committee by the Collector.
- The authorities from the private service providers and telecom department officials may be invited as a member by Collector, if required.

10. DISTRICT LEVEL COMMITTEE SHALL EXAMINE THE APPLICATION WITH RESPECT TO THE FOLLOWING PARAMETERS: -

- 10.1 Consent of Electronics and Information Technology Department
- 10.2 District Action Plan
- 10.3 Validity of the license issued by Government of India
- 10.4 Proposed route for Under Ground or Over Ground telecom infrastructure marked with public utility infrastructure and its Suitability.
- 10.5 The mode of execution of work
- 10.6 Time duration for execution of the work and the proposed day of start of work

- 10.7 Estimation of expenditure, so that the authority can determine the nature of the proposed work
- 10.8 Assessing the action plan given by the applicant for measures to remove or reduce public inconvenience and ensure safety
- 10.9 Verifying the documents to determine the responsibility of the applicant for any damage caused during the work
- 10.10 The authority may give orders related to the installation and maintenance of underground or over ground telecommunications infrastructure.

11. RESPONSIBILITIES OF DISTRICT LEVEL COMMITTEE

- 11.1. The District Level Committee shall conduct examinations and provide its agreement / disagreement or provide amendment on the submitted proposal.
- 11.2. Permission should be granted on the conditions shown in the Act and Rules, but the conditions are not limited. Conditions related to public safety, inconvenience and compensating for damage etc. can be added
- 11.3. The reason for the rejection should be shown on the rejected applications
- 11.4. Before rejecting any application, the applicant should be given ample opportunity of hearing
- 11.5. In the event of rejection of application, the appropriate authority may forfeit the onetime application fees submitted by the applicant
- 11.6. If the District Level Authority fails to communicate its decision to the applicant within 30 days of submission of the application, the permission/NOC shall be deemed to have been granted

12. AS PER THE INSTRUCTIONS FROM THE AUTHORITY, THE APPLICANT WILL SUBMIT THE BANK GUARANTEE TO THE CONCERNED DEPARTMENT, IN LIEU OF THE COMPENSATION FOR THE LOSS CAUSED BY WORKING ON THE AUTHORITY'S LAND. THE RATES FOR WHICH ARE MENTIONED BELOW:

S. No	Department	Road	Amount of Bank Guarantee Per km.
1	National Highway Authority of India	National Highway	As per rates prescribed by NHAI/ Ministry of Road Transport and Highways, Government of India
2	Public Works Department	Roads of Bastar and Sarguja Revenue Division	Rs.5,000/-
		Roads of Other Revenue Divisions Except Bastar and Sarguja Revenue Division	Rs.25,000/-
3	Urban Development and Administrative Department	Roads of 60 Feet or more width	Rs.50,000/-
		Roads of 30 to 60 Feet width	Rs.25,000/-
		Roads of less than 30 feet width	Rs.15,000/-
4	Other Department of the State Government (Except Urban Development and Administration Department and Public works Department)	Road Constructed and maintained by the Department	Rs.5,000/-

- 12.1. As per the Forest conversion act 1980 rules and procedures, prior permission before starting the work must be taken from the Forest department. But in the forest areas in which right of way permission has been granted for Government roads, Highways and other Government structures etc., then the Right of Way permission from the Forest Department is not required.
- 12.2. On the land belonging to National Highway, the permission for "Right of way" will be given by concerned authority of National Highway Authority of India, as per the directives issued by Government of India from time to time.

- 12.3. The State electricity companies will give permission free of cost to the applicants for laying cable on transmission lines, sub-transmission lines and electricity distribution lines under NOFN/BharatNet/ Any other Government scheme.
- 12.4. Under this Rule, Right of Way on the Government Land shall be provided free of cost to Applicant working for National Optical Fibre Network (NOFN) or BharatNet project or any Government Project.
- 12.5. Applicants setting up telecom infrastructure on roads other than the roads mentioned under point 12.2 will be charged as follows

#	Project Type	Fees per kilometre
1	NOFN/ BharatNet / Govt Telecom Project	0.00
2	Any other project	1000.00

13. LAYING OF FIBRE ABOVE GROUND

- 13.1. The charges for laying of Aerial (Overground) cable would be as under:

No.	Particulars	Fee (Rs)
1	Permission Charge for the route (Subject to the limitation of one jurisdiction)	5000
2	Pole Rental for electricity and local body (per Pole per year)	Rs 100 for Urban Areas Rs 50 for Rural Areas

- 13.2. The appropriate authority shall not charge any fee other than those mentioned under this Chapter from the applicant for establishing underground/ aerial telecom infrastructure.

14. OBLIGATIONS OF APPLICANT IN UDAERTAKING THE WORK

- 14.1. The applicant will start work after fulfilling the conditions mentioned under the Section 12
- 14.2. Applicant shall pay the amount prescribed by the authority and shall present the bank guarantee before starting the work. The applicant shall commence work within a period of thirty days from the date of grant of permission by the competent authority.

- 14.3. The applicant shall ensure the use of appropriate technology to provide information to the appropriate authority about the geographical location, location of the Infrastructure, layout and progress etc. of the telecommunications infrastructure.
- 14.4. The Applicant will have to confirm the date of start of work to the Department of Electronics and Information Technology and the District Level Committee. The Applicant will carry out the work in conformity to the permission granted by the District Level Committee and the layout provided.
- 14.5. The Applicant shall be liable to carry out good work and shall put efforts to save damages to property and restoration of services. The applicant must do the entire repair and restoration at his own expense as per the standard operating procedure of the department, Within 24 hours of any loss or disruption of service.
- 14.6. The Applicant shall be liable to any damages or disruption caused by him, during laying of optical fibre cables over electricity utility company's properties. The cost of entire rectification, restoration of service or loss of revenue or other cost shall be paid by the applicant to the respective electricity utility companies. In case of shifting of such lines of utility- companies, the applicant shall be responsible for dismantling and reinstalling its cables.
- 14.7. The Applicant shall be wholly responsible for safety of their material or manpower and maintaining safe distance from live or charged wires.
- 14.8. If the land or structures provided are to be used in setting up telecommunications infrastructure and the land is cropped, the applicant will have to pay compensation or rent for the land or crop. In case of any dispute, the decision of the District Level Committee will be binding on both the parties.
- 14.9. The Applicant will not have any ownership right on the used place or property. That property shall belong to the concerned agency or owner as before.
- 14.10. Construction of permanent ducts along roadside should be done for establishing optical fibre.
 - 14.10.1. Different agencies will construct permanent ducts along the highways, main roads and district roads being constructed in the State.
 - 14.10.2. The reimbursement of the expenditure to be made on the construction of these ducts may be obtained from the service providers/ licensee /IP-1 as utility fee. This fee will be decided by the State Government.
 - 14.10.3. The permission to use these ducts and review of utility will be done by the District Level Committee.

14.10.4. No digging for cable laying will be allowed alongside of those roads where the above ducts have been constructed.

15. POWERS OF APPROPRIATE AUTHORITY TO SUPERVISE THE WORK.

- 15.1. The appropriate authority or officer nominated by him, may supervise the execution of work to ascertain if the conditions imposed in the grant of permission are being followed by the applicant.
- 15.2. If a violation of the conditions is found in the above observation, then the authority can impose new conditions.
- 15.3. If the appropriate authority concludes that the applicant has willfully violated any of the conditions for grant of permission, it may forfeit the bank guarantee submitted by the applicant and withdraw the permission granted for which reasons to be recorded in writing.
- 15.4. Unless the Applicant has been given an opportunity of being heard no action shall be taken under this sub-rule 15.3.

CHAPTER III

ESTABLISHMENT OF OVERGROUND TELECOM INFRASTRUCTURE

16. APPLICATION BY APPLICANT

- 16.1. Applicants may obtain permission to set up telecommunications infrastructure over private or public land, which is under the control of an authority, which includes all types of towers and poles.
- 16.2. Permission to set up telecommunications infrastructure on land / building owned by private person should be given on submission of a copy of the consent document or agreement executed between the private party and the applicant. If the land / building belongs to the State Government or the Government of India, PSU, local body or corporation, permission should be granted only after obtaining consent from the concerned Government or authority or body.
- 16.3. The licensee will have to case wise apply for the establishment of any type of overhead telecommunications infrastructure at any place. The format of this application is in Annexure-2

16.4. The following documents should be attached in the application form submitted by the licensee-

16.4.1. A copy of the license granted by the Central Government

16.4.2. Action Plan for the District

16.4.3. Complete list of Telecom Towers and In Building Solutions being established by the applicant including GIS Map (with details of latitude and longitude) of the infrastructure built updated till date of application

16.4.4. Exact geographical location with latitude and longitude of the proposed work.

16.4.5. Description of area, building or structure of land required for installation of telecommunications infrastructure over land.

16.4.6. Consent/Agreement of the owner of the land and building in case of private property.

16.4.7. In case the Tower is proposed to be erected on a vacant land, consent of the owner of the land or the agreement with him.

16.4.8. The copy of approval issued by the duly authorized officer of the Central Government for use of transmission of Radio waves or Hertzian waves within 90 days from the date of transmission of services by the telecom service providers at the proposed location.

16.4.9. Time duration for, execution of the work

16.4.10. The inconvenience caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience

16.4.11. Proposed measures to be taken to ensure public safety during work execution.

16.4.12. Indemnity bond clearly stating that the applicant will be solely responsible for any loss or damage or consequences for any civil or criminal proceedings.

16.4.13. Wherever necessary, the service provider must obtain and produce no objection certificate (NOC) from the Air Traffic Controller of the Airport Authority of India. Likewise, in case of erecting towers near Ancient/Historical buildings, NOC obtained from the Archaeological Department must be attached

16.4.14. In case the tower is proposed to be erected within a radial distance of 100 meter from sensitive buildings like Mantralaya, Vidhan Sabha, Governor's or Chief Minister's House, High Court and District Court, a NOC from the relevant department will have to be obtained and attached.

16.4.15. The detailed technical design and drawings

16.4.16. Certificates regarding structural safety and stability of the building or tower from a qualified structural engineer of one of the following institutions should be obtained and attached.

- National Institute of technology, Raipur
- Any Government Engineering College of Chhattisgarh
- Civil Engineer registered under "Indian Society of Structural Engineers"

16.4.17. According to applicant, any other matter relevant to the work proposed to be undertaken

16.4.18. Any other matter relevant to the work which may be affected by any order issued by the Central Government, State Government or appropriate local authority.

16.5. Cell-on-Wheels (COW)- Any telecom infrastructure for managing events/festivals/fairs of short duration (Maximum 180 days), no coverage areas or in case of any National/State emergency shall not be included in the rules of this Policy and no formal permission is required for installation of such temporary infrastructure.

16.6. For Applicant, applying for Right of Way to erect tower or installation of over ground telecom infra, the applicable fees would as below:

Type of Fees	Amount of Fees in Rs.			
	Nagar Nigam	Nagar Palika	Nagar Panchayat	Gram Panchayat
Fees for Permit/ License	1,50,000	1,00,000	50,000	25,000
Fees for Renewal	30,000	20,000	10,000	10,000
Settlement fee	30 to 50 times the permission fee			15 to 50 times the permission fee
Fees for Permit on a Shared Tower	10,000	10,000	10,000	10,000

17. GRANT OF PERMISSION BY APPROPRIATE AUTHORITY

- 17.1 Telecom infrastructure set up on any immovable property above the land, which may be of Government, Semi-Government, body or authority etc., then the possibility of using that immovable property for any other purpose will be very less, Therefore, in case of permission for the right of use over Government land, the institution will be entitled to collect fees from the applicant. For this, the property authority will order an annual fee, which the applicant will have to follow. The nature of telecommunication services falls under the category of public utility and essential services, so apart from the fees given in these rules, these will be exempted from all types of taxes levied by the local authority / body.
- 17.2 The applicant will give a presentation on the work plan to Department of Electronics & Information Technology which the department would review on a fixed date.
- 17.3 The appropriate authority of Electronics and IT Department shall suggest amendment, approve or reject along with reasons within 15 days of receipt of the application.
- 17.4 The applicant shall be given an opportunity for hearing before rejecting the application.
- 17.5 The applicant shall submit the revised application within 7 days else the above application will be rejected.
- 17.6 The Department of Electronics and IT will forward the application to the District Level Committee.
18. FOR IMPLEMENTATION OF THE RULE A LOCAL LEVEL COMMITTEE NEEDS TO BE CONSTITUTED UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE OFFICER IN CHARGE OF THE RESPECTIVE ADMINISTRATIVE AREA. THE COMMITTEE MUST HAVE MINIMUM OF 3 MEMBERS INCLUDING THE CHAIRMAN AS DECIDED BY DISTRICT LEVEL COMMITTEE -

#	Administrative Area	Authority
1	Municipal Corporation	Commissioner, Municipal Corporation
2	Municipal Council and Nagar Panchayat	Chief Municipal Officer
3	Janpad Panchayat /Gram Panchayat	CEO, Janpad Panchayat

- 18.1. In the above administrative area, the departments of the State Government, on who's building, or land work is proposed, then the officers of those departments should be kept in the committee as members.
- 18.2. This committee shall examine the application with respect to the parameters mentioned in this policy.
- 18.3. After compliance with all the conditions shown in the rule, approval by the local level committee should be given and sent to the district level committee
- 18.4. If the towers are erected without a permit, the local authority will take action to remove the tower. During this time, the company concerned will be responsible for any loss, and they will have to compensate the loss to the local authority.
- 18.5. The Permission to erect Mobile Tower/Relay Tower shall be granted only on the land which is not reserved for parks/hostel spaces under 10% land reservation.
- 18.6. No permission shall be granted for erecting Mobile Tower/ Relay Tower for the land marked for roads.
- 18.7. More than one antenna of the same or other company may be installed on the single tower to minimize the number of towers in the area and the applicant shall intimate the Local Authority for such installation and for this there will be no additional fees to be paid.
- 18.8. The Competent Authority shall be empowered to grant permission for digging along or across the roads and for erection of the tower.
- 18.9. The Local Level Committee shall have power to impose conditions in accordance with realistic circumstances. The applicant will be bound to comply with all instructions issued by the Local Level Committee.
- 18.10. Permission should be granted on the conditions shown in the Act and Rules, but these conditions are not limited. Conditions related to reducing and restoring social security and public inconvenience and compensating for damages etc. can be added, which the applicant will have to follow
- 18.11. No application will be rejected unless the applicant has been given ample opportunity to hear the reasons for rejection.
- 18.12. Reasons for rejection of the application must be recorded in writing

- 18.13. In the event of rejection of application, the appropriate authority may forfeit the application fees submitted by the applicant
- 18.14. The objections of local residents regarding the radiation of tower, shall be examined by technical experts of Department of Telecommunications, Chhattisgarh, and the decision of the technical expert shall be final. If required, a workshop for the public awareness will be conducted.
- 18.15. A red signal light must be set atop every tower/relay station and lightning conductor must be installed for every tower/relay station.
- 18.16. Adequate arrangements must be made to prevent fire accidents.
- 18.17. The air and noise pollution caused by the generator near the tower must conform to the norms of Chhattisgarh State Environment Conservation Board.
- 18.18. In case there is any electric line used for the distribution of electricity in the vicinity of the proposed tower, then the distance between the aforesaid electric lines and the proposed tower must be as per the Indian Electricity Act, 2003.
- 18.19. No Permission shall be granted for erection of Tower on buildings used by Educational Institutions and Hospital/Dispensary without the consent from head of the institution.
- 18.20. No separate permission from any local authority is required other than permission required to be taken under this policy.
- 18.21. Telecom towers can be set up on all kind of land and buildings irrespective of nature of use of such land and buildings. For the purpose of establishment of telecom towers, the nature of use of such land and building is not required to be changed
- 18.22. The applicant would have to inform the local level committee seven days in advance about any repair or maintenance work.
- 18.23. Any complaints regarding erection of tower(s), shall be referred to the Local Authority, and further action will be taken in accordance with the reports received from them.
- 18.24. Any order or instruction issued prior to the coming into force of these rules shall be relevant as far as they are not inconsistent with these rules.
- 18.25. Priority power connection to be provided for Telecom Infrastructure at preferential tariff as decided by the State.

18.26. Any Documents/Agreements being executed for the purpose of compliance of these Rules may be registered in accordance with the provisions of Registration Act, 1908.

18.27. Letter of permission as per these rules should be issued as per Appendix-3.

18.28. Local level authority has to give its decision within thirty (30) days from the date of application

19. OBLIGATIONS OF LICENSEE/IP-1 IN UNDERTAKING WORK.

The licensee/IP-1 shall ensure that:

19.1 Prior to the commencement of establishment and operations of over ground telecom infrastructure the measures to mitigate public inconvenience and ensure public safety, including structural safety of such over ground telecom infrastructure are implemented.

19.2 Work of establishment and operations of over ground telecom infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the permission granted by the appropriate authority.

20. POWERS OF APPROPRIATE AUTHORITY TO SUPERVISE THE WORK.

20.1 The appropriate authority or officers nominated by them shall supervise the work and ensure that the conditions imposed in the grant of permission are observed by the applicant or not. if the same is not being complied, they will inform the competent authority.

20.2 If a violation of the conditions is found in the above observation, the authority may impose new conditions.

20.3 If the appropriate authority comes to the conclusion that the applicant has wilfully violated any of the conditions mentioned in grant of permission, it may forfeit the Bank Guarantee submitted by applicant and withdraw the permission, for which reasons must be recorded in writing.

20.4 Only if the applicant is given an opportunity of hearing and does not get satisfactory resolution, action to be taken under point 20.3

CHAPTER IV
IN BUILDING SOLUTION (IBS)

21. THERE SHALL BE VARIOUS MODES OF ESTABLISHMENT OF IN-BUILDING SOLUTIONS SUCH AS-
- 21.1 In the In-Building Solution (IBS) Equipment may be installed on any tower or pole installed on land or building
- 21.2 The places where towers or poles are already deployed, following solutions to be used instead of new installation of telecom infrastructure –
- 21.2.1 The pre-installed towers or poles by the telecom infrastructure installation company should be shared with other service providers
- 21.2.2 This sharing should be done without discrimination by the company
- 21.2.3 If companies need to set up optical fibre to connect IBS / DAS nodes, then for this, the permission of ROW should be given under this policy.
- 21.3 There is no need to obtain permission to install these devices from private owners.
22. PERMISSIBILITY:
- There is no requirement of getting the permission for installation of In-Building Solution from the Local Authority. But for private, Government / Semi-Government, body or authority etc. land or building it is necessary to get permission from the concerned owner.
23. PROCEDURE FOR SUBMITTING APPLICATION FOR OBTAINING NOC/CONSENT FOR IN BUILDING SOLUTION:
- 23.1 It is necessary to obtain permission from the concerned authority for the building of Government / Semi-Government, body or authority etc., the process of application of which will be as follows:
- 23.1.1 To obtain permission to for establishing In-Building solution in the building of the Government, Semi-Government, body or authority application should be made to the administrative authority / head of the building with a layout drawing.

- 23.1.2 Every IBS or Wi Fi antenna or micro unit with a utility box attached to a microcell if installed on any land or building including a bus shelter, street light pole, public places, the annual fee of these premises is Rs. 500.00 per place to be submitted to the local body or property authority.
- 23.2 Agency working to build Public Wi-Fi Hotspots under the Central or State Govt Schemes (e.g. Prime Minister Public Wi-Fi Access Network Interface PM-WANI Scheme) are not required to obtain RoW permissions from any of the authorities.

CHAPTER V

24. RIGHT OF APPROPRIATE AUTHORITY TO SEEK REMOVAL OF UNDERGROUND OR OVERGROUND TELECOM INFRASTRUCTURE

- 24.1. If it is necessary to remove or alter the infrastructure from the property of any private or Government / body due to circumstances arising after the establishment of any underground or overland telecom infrastructure, the authority shall issue notice to the service provider of the telecommunications infrastructure, so that the infrastructure can be removed or transferred from that place.
- 24.1.1. If the department wants to increase the width of the road, then the service provider of the infrastructure will have to move the infrastructure at a safe location suggested by the agency at its own expense.
- 24.1.2. For this, upon receipt of information from the agency, the service provider will submit an action plan to remove or transfer the telecommunications infrastructure in 30 days.
- 24.1.3. Appropriate authority will grant approval on the above action plan.
- 24.1.4. The appropriate authority shall give a maximum time of ninety days to remove such telecommunications infrastructure.
- 24.1.5. The infrastructure company will be responsible for the expenditure and compensation for removing or transferring such telecom infrastructure.
- 24.2. The local body will have the right to remove all the towers / structures which have been deemed to be against public interest, safety or rules as per the report received from the concerned competent authority of the Department of Telecommunications.

CHAPTER VI

DISPUTE RESOLUTION

25. DISPUTES BETWEEN APPLICANT AND APPROPRIATE AUTHORITY.

- 25.1 Any dispute arising between the applicant and the other party shall be referred to the officer nominated by the Appropriate Authority
- 25.2 From the date of commencement of this policy, dispute will be handed over to the authorities nominated or mentioned in the policy under their jurisdiction.
- 25.3 For disputes which are technical in nature, technical report may be sought from the experts of Department of Telecommunications.
- 25.4 For disputes regarding Radiation generating from the Towers, should be sent to Department of Telecom, Chhattisgarh for technical examination and reporting.

26. OBLIGATIONS AND DUTIES OF SERVICE PROVIDER

- 26.1 Any Service Provider applying for Right of Way should try to use the already permitted Right of Way in the region.
 - 26.1.1 Where telecom towers are already in place, service providers installing new telecom towers in the area should use pre-installed towers to reduce the number of towers.
 - 26.1.2 Service providers who have laid fibre in any area after obtaining the permission of the Right of Way, should lease their fibre to other service providers.
 - 26.1.3 Only after maximum utilisation of the telecom infra in the region, applicant should apply for fresh Right of Way.

27. REGULARIZATION OF EXISTING MOBILE TOWERS

- 27.1 All exiting operational Mobile Tower/Pole in the State of Chhattisgarh for which permission has not been taken or earlier permission granted has not been renewed, may get regularized within a period of 6 months from the date of applicability of this rule by paying permission/NOC fee without any interest or compounding fee. After this period, in addition

to the permission fee, regularization should be done on payment of additional penalty of Rs 10 thousand.

28. SERVICE INTERRUPTION AND SAFETY

28.1 Telecom infrastructure is an important essential infrastructure. This is a very important service. To ensure its security, safety and avoid communication disruption, action should be taken as follows:

28.1.1 On the issue of electromagnetic radiation, the work of sealing or disconnecting the currently operational base transceiver station cannot be done without the permission from the Term Cell of Department of Telecommunications.

28.1.2 Strict statutory action should be taken by the authority as per the relevant law against intentionally or negligently damaging the telecommunications infrastructure and causing obstruction in network connectivity.

29. RULES TO HAVE OVERRIDING EFFECT

29.1 The provisions of these rules shall not come into effect with the inconsistent position contained in any other law, unless they are in effect of any law or in any means other than these rules.

29.2 This policy will be applicable throughout the State and will be effective in all the departments / companies / agencies / urban bodies of the Government.

29.3 For any interpretation, Hindi version of the policy shall be referred.

Appendix -1

**APPLICATION FOR PERMISSION UNDER THE RIGHT (WAY OF WAY) POLICY, 2021
FOR INSTALLATION OF UNDERGROUND TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE
IN CHHATTISGARH**

I / We Address an authorized representative of M/s, hereby submit information / documents as follows to obtain permission to set up underground telecommunications infrastructure in Chhattisgarh -

1	Name, full address, email address and phone number of the applicant company / firm	
2	Details of the authorized representative of the applicant (Name, designation, address, mobile number) Attach the authorization letter of the representative of the company.	
3	Details of license received by the applicant from Department of Telecommunications, Government of India (serial number, date and designation of issuer)	
4	State the validity period of the license issued by Department of Telecommunications, Government of India	
5	Description of road where underground fiber is to be installed	Provide information in the attached format "A".
6	Details of private land where work is to be carried out	Provide information in the attached format "B".
7	Information for the land belonging to the State / Central Government, authority or local body, which is not a road	Provide information in the attached format "C".
8	Please attach the following documents along with the signature of the representative of the company-	
	8.1 Copy of the license given to the applicant by the Central Government	
	8.2 Copy of State / District Action Plan	
	8.3 Description of the overhead structures above the proposed underground telecommunications infrastructure	
	8.4 Map of the proposed OFC network which is on GIS (with description of latitude and longitude) and updated till date of application	
	8.5 Description of Fiber's proposed path on survey report and GIS map	
	8.6 Document showing the manner and time period of execution	

	8.7 Details of work to be done if required to be done in specific way and days of completion	
	8.8 Statement of estimated expenditure on work	
	8.9 Assessment of inconvenience to citizens and information of proposed measures to reduce such inconvenience	
	8.10 Details of the measures to be taken to ensure public safety during the work execution	
	8.11 According to the applicant, information of such facts which is related to the proposed work	
	8.12 Estimated cost of restoration of land for the situation before the establishment of the infrastructure	
	8.13 Details of facts related to work which are affected by any order issued by the Central Government, State Government or Local Authority.	
	8.14 Original undertaking for discharging proper and prudential responsibility for the restoration of the original nature of the building, road or land and to act in accordance with the instructions given by the authority to compensate for the damage caused by the work.	
	8.15 Original indemnity bond to compensate for any loss or damage and to accept full responsibility for the consequences of any civil or criminal proceeding	
	8.16 Area of land for which permission has been applied	
9	Other information the applicant wants to provide	

It is certified that the information given above, and the documents attached are correct and signed by the concerned. If any document or information is proved to be untrue, we will be responsible for any action.

Date.....

Signature of the Applicant

Name: _____

Designation: _____

Seal -

FORMAT - "A"

DESCRIPTION OF ROADS WHERE UNDERGROUND FIBER IS BEING INSTALLED

S. No.	Name of the Road	Which department / authority / body owns the road	Details of divisions / sub-divisions and authority of the road	From and To Kilometers where the work is to be done	Total Km	Attach consent / agreement of competent authority

It is certified that the information given above, and the documents attached are correct and signed by the concerned. If any document or information is proved to be untrue, we will be responsible for any action.

Date.....

Signature of the Applicant

Name: _____

Designation: _____

Seal -

FORMAT - "B"

DESCRIPTION OF PRIVATE LAND WHERE UNDERGROUND FIBER IS BEING INSTALLED

S. No.	Khasra / ground plot number	Name of the landowner	Village	Gram Panchayat/ City	Tahsil	District	Total Meters where work is proposed	Attach consent / agreement of Landowner

It is certified that the information given above, and the documents attached are correct and signed by the concerned. If any document or information is proved to be untrue, we will be responsible for any action.

Date.....

Signature of the Applicant

Name: _____

Designation: _____

Seal -

FORMAT - "C"

DESCRIPTION OF STATE/CENTRAL GOVERNMENT, AUTHORITY OR LOCAL BODY
LAND, WHICH IS NOT A ROAD AND WHERE UNDERGROUND FIBER IS BEING
INSTALLED

S. No.	Khasra / ground plot number	Name of the landowner	Village	Gram Panchayat/ City	Tahsil	District	Total Meters where work is proposed	Attach consent / agreement of Landowner

It is certified that the information given above, and the documents attached are correct and signed by the concerned. If any document or information is proved to be untrue, we will be responsible for any action.

Date.....

Signature of the Applicant

Name: _____

Designation: _____

Seal -

Appendix -2

**APPLICATION FOR PERMISSION UNDER THE RIGHT (WAY OF WAY) POLICY, 2021
FOR INSTALLATION OF OVER GROUND TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE
IN CHHATTISGARH**

I / We Address an authorized representative of M/s, hereby submit information / documents as follows to obtain permission to set up underground telecommunications infrastructure in Chhattisgarh -

1	Name, full address, email address and phone number of the applicant company / firm	
2	Details of the authorized representative of the applicant (Name, designation, address, mobile number) Attach the authorization letter of the representative of the company.	
3	Name and telephone/mobile number of the authorized representative of the applicant	
4	Details of license received by the applicant from Department of Telecommunications, Government of India (serial number, date and designation of issuer)	
5	State the validity period of the license issued by Department of Telecommunications, Government of India	
6	Details of places where permission is sought for setting up of towers above ground 1. Number of places on Government land 2. Number of locations on private land 3. Total number of places applied for- (Attach separate application for each place in the form - "A")	
7	Details of places where permission is sought for installation of rooftop towers 1. Number of places on Government buildings 2. Number of buildings of State Government bodies / corporations / authority boards 3. Number of total buildings for which the application is made- (Attach separate application for each place in the form "B")	
8	Details of the places where permission for right of way above the land route has been applied for- 1. Number of places on Government land	

	2. Number of places on the land of the State Government body / corporation / authority 4. Total number of places applied for- 3. (Attach separate application for each place in the form - "A")	
9	Submit detailed action plan with application form	

It is certified that the information given above, and the documents attached are correct and signed by the concerned. If any document or information is proved to be untrue, we will be responsible for any action.

Date.....

Signature of the Applicant

Name: _____

Designation: _____

Seal -

FORM – “A”**DETAILS OF BUILDING / LAND OF STATE GOVERNMENT, LOCAL BODY OR
AUTHORITY WHERE PERMISSION FOR RIGHT OF WAY IS SOUGHT TO ESTABLISH
INFRASTRUCTURE ABOVE THE LAND**

1. Name, full address, e-mail address and phone number of the applicant company / firm	
2. Details of authorized representative by the applicant	
3. Attach the authorization letter of the representative of the company (name, position, address, mobile number).	
4. Details of land where towers / overhead fiber is to be installed	
5. Khasra / plot number of land, village details	
6. Location and Address	
7. Landowner Department	
8. Whether the land belongs to the State Government or to the State Government Undertaking (Name)	
9. Current status of land	
1. Information on the building on the ground	
2. Current land use	
3. Distance of land applied from the road	
4. Distance of land applied from building	
5. Information of overhead power lines	
6. Information about the land having drainage / sewer lines etc.	
7. Pavement / footpath on the ground	
8. The ground on which the infrastructure is to be set up is paved or raw.	
9. If Paved, details about nature of the land, information about footpath / road / platform etc.	
10. Details of the infrastructure to be laid-	
1. cables, trenches etc.	
2. Depth at which infrastructure is to be established.	

3. ROW required for the width of land necessary for required accessories if any (in square meters)	
11. Area of land for which permission has been applied 1. Length - (in meters) 2. Breadth - (in meters)	
12. Estimated cost of restoration of original condition of land	
13. Enclosure 1. Google map showing the location of the building 2. Longitude and latitude of location and GIS map 3. Certificate of structural stability for towers 4. Picture of the building	

It is certified that the information given above, and the documents attached are correct and signed by the concerned. If any document or information is proved to be untrue, we will be responsible for any action.

Date.....

Signature of the Applicant

Name: _____

Designation: _____

Seal -

FORM "B"**DETAILS OF APPLICATION FOR PERMISSION OF TOWERS ON THE ROOF OF
PRIVATE, GOVERNMENT, SEMI-GOVERNMENT, BODIES AND AUTHORITIES ETC
BUILDINGS**

1	Name, full address, email address and phone number of the applicant company / firm	
2	Details of representative authorized by applicant (Name, designation, address, mobile number) Attach the authorization letter for the representative of the company.	
3	Description of the building where the tower is to be installed	
4	Location and Address	
5	Name of private owner / department of the building	
6	Whether the building is under Government, Semi-Government body and authority, give details.	
7	Current state of the building 1 building height 2 current use of the building 3 Description of electric lines passing over the building 4 Other Structures on the rooftop 5 Attach a structural stability certificate of the building.	
8	Description of tower to be installed 1 Height of tower 2 Attach a structural stability certificate of tower. 3 Required ground area of for tower base (in sqm) 4 Area Required for accessories (in sqm) 5 Whether any structure will be damaged by the installation of infrastructure, give details.	
9	Roof area for which permission has been applied	
10	Estimated cost of restoration of building to the position before the installation of infrastructure	

11	Attach certified copy of the following - (A) Google map showing the location of the building (B) GIS map of the location with latitude and longitude (C) Structure stability certificate for towers (D) Picture of the building (E) Owner's consent in case of private building	
----	--	--

It is certified that the information given above, and the documents attached are correct and signed by the concerned. If any document or information is proved to be untrue, we will be responsible for any action.

Date.....

Signature of the Applicant

Name: _____

Designation: _____

Seal -

Appendix -3

OFFICE _____

**NO OBJECTION CERTIFICATE TO THE LICENSEE UNDER THE RIGHT OF WAY
 RULES -2021 FOR THE DEVELOPMENT OF TELECOM INFRASTRUCTURE IN
 CHHATTISGARH.**

No Objection Certificate No. _____

Date: _____

M/s A
 Telecom Service Provider (TSP)/ Internet Service Provider (ISP) / Infrastructure Provider (IP),
 which is a Licensed service provider Company from the Department of Telecommunications,
 Government Of India, whose registration number is _____ valid till _____,
 is hereby granted the permission to install and maintain the above ground telecommunication
 infrastructure / underground telecom infrastructure (cut off which is not applicable) under the
 Chhattisgarh Right of Way Policy -2021 at the following places in the State.

S. No.	Land or Building Owner Name Department Name	Details of Land / Road or Building	Tower based on Land/ Roof	Area of Right of Way (RoW) (in Square meters)

This Certificate is valid for the duration from Date _____ till Date _____.

Seal and Signature of Competent authority